प्रकाशन का 42 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

ई-पेपर

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

www.facebook.com/shailshamachar

वर्ष 42 अंक-40 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पंजीकरण एच. पी./93/एस एम एल Valid upto 31-12-17 सोमवार 09-16 अक्तूबर 2017 मूल्य पांच रूपए

भाजपा में शामिल होने से मिलेगी भ्रष्टाचार से मुक्ति

सुखराम परिवार के शामिल होने से उभरा संदेश

शिमला/शैल। पूर्व केन्द्रिय संचार मन्त्री पंडित सुखराम वीरभद्र मन्त्रीमण्डल में मन्त्री उनके बेटे अनिल शर्मा और प्रदेश कांग्रेस के सचिव उनके पौत्र आश्रय शर्मा ने कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया है। कांग्रेस छोड़ भाजपा में जाने का जो तर्क अनिल शर्मा ने दिया है उसके मुताबिक पिछले दिनों जब मण्डी में राहुल गांधी रैली के लिये आये थे उस समय सुखराम की उपेक्षा की गयी उन्हे रैली के लिये आमन्त्रित नहीं किया गया और यहां तक कहा गया कि यदि वह आये तो दूसरे लोग रैली छोड़ कर चले जायेंगे। इस उपेक्षा से आहत होकर परिवार पार्टी छोड़ रहा है। अनिल का यह आरोप कितना सही है यह तो वही जानते हैं और उनके अतिरिक्त इसकी जानकारी पार्टी अध्यक्ष सुक्खु तथा मुख्यमन्त्री वीरभद्र सिंह को होगी। लेकिन प्रदेश और मण्डी की जनता के सामने अनिल के बेटे आश्रय शर्मा का वह पत्रकार सम्मेलन अवश्य है जो उन्होने इस रैली से कुछ ही दिन पहले आयोजित किया था। इस सम्मेलन में यह दावा किया गया था कि पार्टी हाईकमान ने उन्हे सिराज से चुनाव लड़ने का सिगनल दे दिया है और वह भाजपा के जयराम ठाकुर के विरूद्ध चुनाव लड़ेंगे और उनके दादा सुखराम इस चुनाव की कमान संभालेंगें। यदि आश्रय का पत्रकार सम्मेलन में किया गया यह दावा सही था तो फिर अब पार्टी छोड़ने का तर्क सही नही हो सकता क्योंकि इस दावे का पार्टी की ओर से कोई खण्डन नहीं किया गया था। यदि यह दावा गलत था तो इससे बड़ी अनुशासनहीनता और पार्टी को अपने खिलाफ कारवाई के लिये उकसाने के अतिरिक्त और कुछ नही हो सकता। इसलिये यही माना जायेगा कि पार्टी छोड़ने के लिये बहाने तलाश किये जा रहे थे। जबकि अनिल शर्मा भाजपा में जाने की चर्चा मीडिया में करीब छः माह से चल रही थी।

आज सुखराम का पूरा परिवार भाजपा में शामिल हो गया है। स्मरणीय है कि जब पंडित सुखराम को दूर संचार घोटाले में गिरफ्तार किया गया था उस दौरान प्रदेश विधानसभा के सदन के अन्दर जे पी नड्डा और किशन कपूर आदि भाजपा विधायकों ने इस स्कैम

का नाट्यरूपान्तरण तक स्टेज कर दिया था गले में नोटों के हार डालकर सदन के अन्दर आ गये थे। सुखराम के दूर संचार घोटाले को भाजपा ने राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार का एक बडा मुद्दा बनाया था। सुखराम के खिलाफ सीबीआई ने तीन मामले दर्ज किये थे। हरियाणा की एक कंपनी एचटीएल को 30 करोड़ का ठेका देने के एवज में तीन लाख की रिश्वत लेने का आरोप लगा था। इस मामले में सुखराम के साथ इस कंपनी के चेयरमैन देवेन्द्र चौधरी भी सह अभियुक्त बने थे। चौधरी की मामले की जांच के दौरान ही मौत हो चुकी है। इस मामले में अदालत से सुखराम को पांच साल की सजा और चार लाख के जुर्माने की सजा हो चुकी है। दूसरा मामला हैदराबाद के रामा राव की कंपनी Advance Radio Masts को 1.66 करोड़ का सप्लाई आर्डर देने का है। इसमें सुखराम के साथ कंपनी के मालिक रामा राव और दूर संचार विभाग की निदेशक रूनू घोष भी सह अभियुक्त हैं। इस मामले में भी सजा हो चुकी है। तीसरा मामला घर में हुई छापमारी के दौरान मिली 4.25 करोड़ की नकदी को लेकर आय से अधिक संपत्ति का बना। सीबीआई ने 1993 में यह मामले दर्ज किये थे और 1998 में इनमे चार्जशीट फाईल हुई थी। नवम्बर 2011 में ट्रायल कोर्ट से फैसला आया था। जब यह फैसला आया था उस समय नितिन गडकरी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। 19.11.2011 को इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए गडकरी ने कहा था **"The way in which the court has taken the time to punish the guilty is important. The judicial system needs changes otherwise people will loose faith "** इसी मामले में सुखराम ने अदालत से यह कहा था कि **"As such it is not a case where govt. has lost any money. The CBI allegation was that he took bribe but no financial loss has been caused to the govt. exchequer."** ट्रायल कोर्ट से मिली सजा को दिल्ली उच्च Confirm कर चुका है। दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ

सुखराम सर्वोच्च न्यायालय गये थे और यह गुहार लगायी थी कि बढ़ती उम्र के चलते उन्हें जेल न भेजा जाये। इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें पहले निचली अदालत में आत्मसमर्पण के लिये कहा था। इस पर सुखराम ऐंबुलैन्स में अदालत पहुंचे थे और कोमा में चले जाने तक की स्थिति अदालत में रखी थी। इस समय बढ़ती उम्र और बीमारी के कारण जमानत पर है। यह मामले अब अन्तिम फैसले के कगार पर पहुंचे हुए हैं और माना जा रहा है कि इन मामलों का भी परिवार पर दवाब चल रहा है।

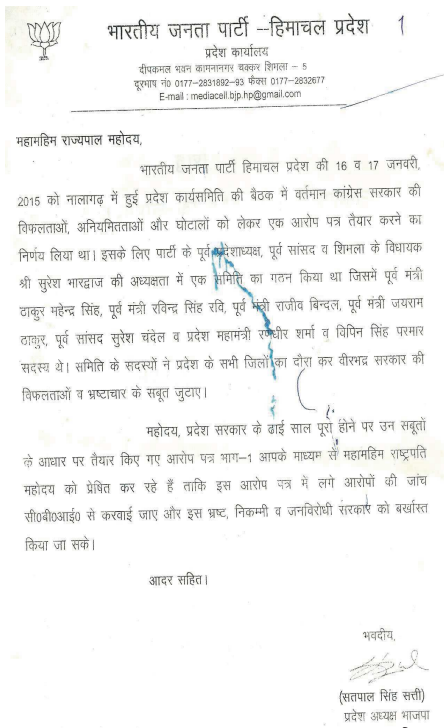

भारतीय जनता पार्टी --हिमाचल प्रदेश 1

प्रदेश कार्यालय

दीपकमल भवन कामनानगर चक्कर शिमला - 5

दूरभाष नं0 0177-2831892-93 फैक्स 0177-2832677

E-mail : mediacell.bjp.hp@gmail.com

महामहिम राज्यपाल महोदय,

भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश की 16 व 17 जनवरी, 2015 को नालागढ़ में हुई प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में वर्तमान कांग्रेस सरकार की विफलताओं, अनियमितताओं और घोटालों को लेकर एक आरोप पत्र तैयार करने का निर्णय लिया था। इसके लिए पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष, पूर्व सांसद व शिमला के विधायक श्री सुरेश भारद्वाज की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था जिसमें पूर्व मंत्री ठाकुर महेन्द्र सिंह, पूर्व मंत्री रविन्द्र सिंह रवि, पूर्व मंत्री राजीव बिन्दल, पूर्व मंत्री जयराम ठाकुर, पूर्व सांसद सुरेश चंदेल व प्रदेश महामंत्री रणधीर शर्मा व विपिन सिंह परमार सदस्य थे। समिति के सदस्यों ने प्रदेश के सभी जिलों का दौरा कर वीरभद्र सरकार की विफलताओं व भ्रष्टाचार के सबूत जुटाए।

महोदय, प्रदेश सरकार के ढाई साल पूरा होने पर उन सबूतों के आधार पर तैयार किए गए आरोप पत्र भाग-1 आपके माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को प्रेषित कर रहे हैं ताकि इस आरोप पत्र में लगे आरोपों की जांच सी0बी0आई0 से करवाई जाए और इस भ्रष्ट, निकम्मी व जनविरोधी सरकार को बर्खास्त किया जा सके।

आदर सहित।

भवदीय,

(सतपाल सिंह सत्ती)

प्रदेश अध्यक्ष भाजपा

सुखराम के अतिरिक्त अनिल शर्मा के खिलाफ भी भाजपा ने अपने आरोप पत्र में मण्डी के राजमहल प्रकरण में गंभीर आरोप लगाया हुआ है। यह आरोप पत्र भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती और नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल के हस्ताक्षरों से राज्यपाल को सौंपा गया है। जिसमें यह आरोप है कि **''जिला मण्डी की राजमहल जमीन बेनामी सौदे में विधायक/मन्त्री के बैंक खाते से लाखों रूपये श्री संजय कुमार के बैंक खातें में ट्रांसफर हुए। यूं बेनामी सौदा श्री खूब राम के नाम हुआ जिसका सूत्रधार संजय था।''** आज इन विधानसभा चुनावों के लिये भाजपा जो ''हिमाचल मांगे हिसाब'' में भ्रष्टाचार के मामलों पर सरकार से हिसाब मांग रही है। क्या उसे आज प्रदेश की जनता के सामने सुखराम और अनिल शर्मा को लेकर अपना आचरण स्पष्ट करना होगा। क्योंकि इससे यह संदेश जा रहा है कि यदि आप भाजपा के सदस्य हैं तो आपका सारा भ्रष्टाचार जन सेवा है। यदि भाजपा से बाहर हैं और उसके विरोध हैं तो यही भ्रष्टाचार का आपका सबसे बड़ा अपराध होगा।

खुलासा

तीनों मामलों में मिल चुकी है सजा. एच टी एल में है 5 साल की सश्रम कैद और 4 लाख का जुर्माना. बढ़ती उम्र और बीमारी के नाम पर मिली है ज़मानत.

हिमाचल में 9 नवंबर को वोटिंग, 18 दिसंबर को काउंटिंग

शिमला/शैल। बेहद टाइट चुनावी शेडयूल जारी करते हुए हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों के लिए 9 नवंबर को वोटिंग व 18 दिसबंर को मतगणना का एलान करते हुए चुनाव आयोग ने प्रदेश में चुनावी बिगुल बजा दिया हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त व गुजरात कैडर के पूर्व आइएएस अफसर अचल कुमार जोति ने ये एलान दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में किया।

आश्चर्यजनक तरीके से चुनाव आयोग ने गुजरात का चुनाव शेडयूल जारी नहीं किया हैं। समझा जा रहा है कि ये सब मोदी सरकार के प्रभाव में ही हुआ होगा। अन्यथा चुनाव आयोग को गुजरात व हिमाचल के चुनाव शेडयूल का एलान करना था।

बहरहाल, चालाकी से चुनाव आयोग ने हिमाचल का चुनावी शेडयूल बेहद टाइट रखा हैं। चुनाव की अधिसूचना 16 तारीख को जारी की जाएगी व इसी दिन से नामांकन भरने का काम शुरू हो जाएगा। आठ दिन बाद 23 अक्तूबर को नामांकन भरने का आखिरी दिन हैं। 24 तारीख को भरे गए नामांकनों की छंटनी होगी और और26अक्तूबर को नामांकन वापस लिया जा सकेगा। इसके बाद 9 नवंबर को वोटिंग का एलान किया गया है। यहां ये महत्वपूर्ण है कि बीच में दीपावली व अन्य त्यौहार हैं ऐसे में नामांकन भरने के लिए ज्यादा समय दिया जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। 26नवंबर के बाद प्रचार के लिए भी ज्यादा समय नहीं दिया गया हैं। शेडयूल के मुताबिक सात नवंबर को प्रचार खत्म हो जाएगा। मतगणना को छोड़ दे तो नामांकन से वोटिंग तक की पूरी प्रक्रिया के लिए कुल 27–28 दिन दिए गए हैं। प्रचार के लिए भी 11–12 दिन ही मिलेंगे। ये अजीब है। अगर गुजरात को ध्यान में रखकर ये किया गया है तो ये सही नहीं हैं।

वोटिंग के बाद कायदे से काउंटिंग 10 या 12 तारीख को ही कर दी जानी चाहिए थी। लेकिन मतगणना करीब सवा महीना बाद 18 दिसंबर को की जाएगी। जाहिर ये गुजरात चुनावों को ध्यान में रख कर किया होगा। लेकिन ये समझ से बाहर है कि जब किसी अन्य राज्य के चुनाव घोषित ही नहीं हुए तो काउंटिंग सवा महीने बाद क्यों कराई जा रही है। इससे चुनाव आयोग पर सवाल तो उठेंगे ही।

प्रदेश में आचार संहिता लग गई हैं व शासन व प्रशासन अब कुछ नहीं करेगा। 9 नवंबर तक तो ठीक हैं कि चुनावी शेडयूल है सो जनता के काम निलंबित रह सकते हैं। लेकिन मतगणना के लिए बिना कोई वजह इतना लंबा इंतजार कराना चुनाव आयोग को सवालों में खड़ा करता है। दिसंबर 2012 में भी इसी रिजल्ट घोषित करने के लिए इसी तरह हिमाचल के लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ा था । हालांकि तब बाकी राज्यों के चुनाव साथ थे तो वहां कोई प्रभाव न पड़े इसलिए ऐसा किया गया होगा। लेकिन इस बार तो चुनाव आयोग ने किसी और राज्य का चुनाव शेडयूल भी जारी ही नहीं किया तो मतगणना 10 या 12 नवंबर को कराने में क्या मुश्किल थी।

इसका मतलब ये हुआ कि 18 दिसंबर तक प्रदेश सरकार के सारे कामकाज निलंबित हो जाएंगे। ये लंबा समय है व जो भी काम होंगे वो चुनाव आयोग की इजाजत से होंगे। चुनाव आयोग का मतलब मोदी सरकार की इजाजत के साथ। कायदे से ऐसा नहीं होना चाहिए था।

अगर मतगणना 18 दिसंबर को ही करानी थी तो चुनाव शेडयूल लंबा रखा जा सकता था। वोटिंग दो चरणों में की जा सकती थी। जिन विधानसभा हल्कों में हिमपात की संभावन हैं वहां पर 9 नवंबर व बाकियों में वोटिंग दिसंबर में कराई जाती। लेकिन चुनाव आयोग ने ऐसा नहीं किया।

चुनाव आयोग के टाइट शेडयूल से विभिन्न पार्टियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेंगा व जो निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहते हैं उन्हें तो एक महीने का भी समय नहीं मिलेगा। हिमाचल कांगेस व भाजपा जैसी बड़ी पार्टियां हैं जिनके पास बेतहाशा पैसा व बड़ा कैडर हैं व ये पार्टियां तो फिर भी अपने अभियान को बुलडोज कर लेंगी। लेकिन निर्दलीय प्रत्याशियों के लिए ये लेवलिंग फील्ड कतई नहीं है।

हिमाचल का एक ऐसा पोलिंग बूथ जहां केवल छह ही वोटर

शिमला/शैल। प्रदेश में 68 विधानसभा सीटों के लिए हो रहे चुनावों में एक पोलिंग बूथ ऐसा भी होगा जहां केवल छह ही वोटर हैं। ये पोलिंग बूथ जिला किन्नौर के 'का' (KAA) में हैं। हिमाचल का सबसे उंचाई में स्थित पोलिंग बूथ हिक्किम हैं, ये करीब 13 हजार फुट की उंचाई पर हैं व यहां पर कुल 46 वोटर हैं। सोलन के बूथ नंबर 72 में सबसे ज्यादा 1889 मतदाता हैं।

इसके अलावा लाहुल स्पिति विधानसभा हलके में सबसे कम मतदाता 22849 जबकि जिला सोलन के कसौली हल्के में सबसे ज्यादा 92 हजार 849 मतदाता हैं। राजपूत ने कहा कि प्रदेश में मौजूदा समय में 51 पोलिंग स्टेशनों को क्रिटिकल की श्रेणी में रखा गया हैं। उन्होंने कहा कि इन तमाम क्रिटिकल पोलिंगों बूथों समेत करीब 2000 पोलिंग बूथों से लाइव वेब–कास्टिंग की जाएगी।

50 करोड़ रुपए के बजट से चुनावों के इंतजामों में लगे चुनाव विभाग ने इन चुनावों में शराब व कैश की आवाजाही पर नजर रखने के लिए पड़ोसी राज्यों पंजाब, हरियाणा, उतराखंड, जम्मू कश्मीर और चंडीगढ के अफसरों से वीडियो कांफ्रेंसिंग से बात की हैं। इसके अलावा अंतरराज्यीय सीमाओं पर सभी नाकों की वीडियोग्राफी के आदेश दे दिए गए हैं। प्रदेश भर में लगी सरकारी होडिंग्स को हटाने के लिए भी जिला चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। ये काम कितनी मुस्तैदी होगा ये देखा जाना हैं। राजपूत ने कहा कि कैश व शराब पर खास नजर रखी जाएगी।

2012 के विधानसभा चुनावों में प्रदेश में 73.51 फीसद मतदान हुआ था जबकि 2014 में लोकसभा की चार सीटों के लिए हुए मतदान में ये घटकर 64.45 फीसद रह गया। कुल 7521 पोलिंग स्टेशनों में से 141 स्टेशनों में सिग्नल्ज की कमी हैं। इनमें से 29 में हाइ फ्रेंक्वेंसी और 112 में वेरी हाइ फ्रीक्वेंसी सेटों से कवरेज की जाएगी।

इन चुनावों को सही तरीके से कराने के लिए प्रदेश पुलिस बल के अलावा केंद्रीय सुरक्षा बलों की 75 कंपनियां तैनात की जाएगी जबकि 37605 के करीब अलग से स्टाफ तैनात किया जाएगा। ये खुलासा प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी पुष्पेंद्र राजपुत ने यहां किया।

HIMACHAL PRADESHPUBLIC WORKS DEPARTMENT
TENDER NOTICE

Sealed item rate tenders are hereby inviting on behalf of Governor of Himachal Pradesh by the Executive Engineer, Chopal Division HPPWD Chopal for the following works from the approved and eligible contractors enlisted in H.P.P.W.D., so as to reach in the office on or before 08.11.2017 at 11.00 am. and will be opened on the same day at 11.30 a.m. in the presence of the intending contractors/firms or their authorized representatives who wish to be present. Application for tender form should be submitted to his office (Chopal Division HPPWD Chopal) against cash payment (Nonrefundable) on any working day during the office hours up to 4:00 pm dated 06.11.2017 and tender documents can be had on from his office on 07.11.2017 at 11:00 a.m. to 04:00 p.m. No tender form documents will be issued after 04:00 P.M. on scheduled date. If the office happens to be closed on the scheduled date the tender form documents will be sold /opened on the next working day at the same time and venue.

The earnest money in the shape of FDR, NSC purchase from any nationalized Bank or Post Office shall be deposited duly pledged in favors of the Executive Engineer, Chopal Division HPPWD Chopal, must accompany with application form. Conditional tender and the application received without earnest money will summarily be rejected. The offer of the tenders shall be opened for 90 days. The XEN reserve the right to reject/accept the tenders without assigning any reason.

The copy of the latest renewal/enlistment, PAN Number and GST/CST/TIN number must also accompany the application for the tender documents.

Sr.No.	Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money	Cost of Form	Time
1.	C/o link road Khord nalla to Kanwar Rani Bassa Malhar road km. 0/0 to 2/500 (SH: Cutting in earth work between km. R.D.0/615 to 1/180 and R/wall in between km. R.D. 0/270 to 0/300).	405600/-	8500/-	350/-	Two Months
2.	Restoration of rain damages on Sainj Chopal Nerwa Feduj road km. 20/0 to 90/0 (SH: Providing R/wall in km. R.D. 70/180 to 70/190 along with W-metal crash barrier over retaining wall).	291827/-	6000/-	350/-	one Month

Adv. No.-3154/17-18 HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK

शैल समाचार संपादक मण्डल

संपादक – बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक – जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार – ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
रजनीश शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना

सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अध्यापको ने किया रजिस्ट्रार का घेराव दो सप्ताह का अल्टीमेटम

धर्मशाला/शैल। हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अध्यापकों ने विवि के रजिस्ट्रार ब्रिगेडियर जे सी रांगड़ा के खिलाफ संगीन इल्जाम लगाते हुए दो सप्ताह के भीतर टीचरों की तमाम मांगों पर गौर करने का अल्टीमेंटम दिया हैं। उग्र हुए विवि के टीचरों ने रजिस्ट्रार का घेराव कर दिया व ऐलान किया कि अगर मांगों पर गौर नहीं हुआ तो दो सप्ताह के बाद सारे टीचर कैंपस में तंबू गाड़ कर हड़ताल पर चले जाएंगे।

घेराव करने वाले टीचरों ने रजिस्ट्रार से कहा कि अगर वो काम नहीं कर सकते तो बोरिया बिस्तर बांध कर जा सकते हैं। रजिस्ट्रार रांगड़ा की नियुक्ति पांच सालों के लिए हुई हैं व उनका तीन साल का कार्याकाल पूरा हो गया हैं व दो साल बाकी बचें हैं।

सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश टीचर्स एसोसिएशन के बैनर तले हुए इस घेराव के बाद रजिस्ट्रार के कामकाज से गुस्साएं टीचरों ने उन पर वितीय अनियमितताओं बरतने के संगीन इल्जाम भी लगाएं हैं। मीडिया को जारी विज्ञप्ति में एसोसिएशन ने कैग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि रजिस्ट्रार ने पे स्केल को लेकर यूजीसी की स्पष्टीकरण आ जाने के बाद अतिरिक्त वेतन नहीं लौटाया। हाल ही में सेंट्रल ऑडिट टीम ने फिर आब्जेक्शन लगाया कि तीन लाख 24 हजार के करीब ये पैसा रिकवर क्यों नहीं हुआ। मामला अभी भी लंबित ही है। एसोसिएशन ने कहा कि ये वितीय अनियमितता का जीता जागता उदाहरण हैं।

एसोसिएशन के ट्रेजरार सचिन श्रीवास्तव ने कहा कि जनाब पिछले साल ही नॉन टीचिंग स्टाफ को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक वेतन दे दिया। जब मंत्रालय से फटकार लगी तो उसकी रिकवरी की गई।

एसोसिएशन ने रजिस्ट्रार पर अकादमिक काउंसिल की बैठक के मिनट्स के साथ छेडछाड़ करने का संगीन इल्जाम भी लगाया हैं। एसोसिएशन ने कहा कि अकादमिक काउंसिल के सदस्यों ने इस बावत रजिस्ट्रार को इमेल भी भेजी लेकिन कुछ नहीं हुआ।

यही नहीं शाहपुर से कई विभाग धर्मशाला को स्थानातंरित किए गए लेकिन किसी के भी स्थानांतरण आदेश जारी नहीं किए गए। दो महीनों में दस विभाग स्थानांतरित कर दिए हैं लेकिन स्थानातंरण आदेश किसी के पास नहीं हैं। जबकि कई चहेतों को स्थानातंरण के लाभ भी अदा कर दिए हैं। एसोसिएशन ने रजिस्ट्रार पर लिखित व मौखिक कम्यूनिकेशंस में अनुचित भाषा का इल्जाम लगाया।

यही नहीं एसोसिएशन ने कैंटीन, फोटो कापियर सेंटर व सुरक्षा जैसी सुविधाओं की एवज में केंद्रीय सरकार के नियमों की अवहेलना कर तीसरे पक्ष को लाभ पहुंचाया जा रहा हैं।

गुस्साए टीचरों का कहना हैं कि टीचरों ने विवि में सेमीनार व वर्कशॉप कराने बंद कर दिए हैं चूंकि वितीय सहायता या तो रोक दी जाती हैं या अड़ंगा लगा दिया जाता है। बहुत बार लबे समय तक भुगतान नहीं होता।

यही नहीं एंबुलेंस का इंतजाम नहीं किया गया। केनरा बैंक ने एक ओमनी वैन दान की थी उसी पर एंबुलेंस लिख दिया। इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर और स्ट्रैचर के अलावा कुछ नहीं हैं। इस एंबुलेंस में न तो नियमित ड्राइवर का इंतजाम है और न ही मेडिकल तकनीशियन है। जीवन रक्षक दवाएं व बुनियादी उपकरण भी नहीं हैं। पिछले साल एक छात्र की अस्पताल को जाते ही रास्ते में मौत हो गई थी। अगर किसी छात्र व शिक्षक की तबियत बिगड़ जाए तो फैकल्टी की गाड़ी में अस्पताल पहुंचाया जाता है। जबकि खुद वा केंद्र सरकार से मिलने वाली सभी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं।

विवि की वेबसाइट पर महत्वपूर्ण जानकारियां अपलोड़ ही नहीं की जाती। ग्रुप इंश्योरेंस लंबे समय तक लटका रहा। कैशलेस मेडिकल सुविधा को लेकर भी विवि प्रशासन मामले को लटकाए हुए हैं।

एसोसिएशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी निम्माला करुणाकर ने कहा कि पिछले तीन सालों से रजिस्ट्रार ने केवल अड़गे ही डाले हैं व उनसे अगले दो सालों में भी ज्यादा उम्मीद नहीं हैं।

ट्रेजरार श्रीवास्तव ने कहा कि उन्होंने ये तमाम बिंदु कुलपति व मानव संसाधन मंत्रालय को भेज दिए हैं।

वीरभद्र सिंह को इस्तीफा देना होता तो बहुत पहले दे चुके होते:अनुराग ठाकुर

शिमला/शैल। सांसद अनुराग ठाकुर कहा कि बिना किसी बजटीय प्रावधान के आधार पर आधारशिला रखने के मुख्यमंत्री के फैसलों का कोई मतलब नहीं है और ये जनता के साथ धोखा है। उन्होंने कहा कि जनता इन हतकंडो को समझती है और इसका जवाब चुनावों में देगी।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते गए, मुख्यमंत्री वीरभद्र ने घोषणाओं की झड़ी लगा दी मगर उन्होंने किसी भी परियोजना की आधारशिला रखने से पहले उसके बजटीय प्रावधान का जिक्र तक नहीं किया। पिछले कुछ दिनों में किए गए किसी भी घोषणा में बजट का कोई भी उल्लेख नहीं है और ऐसे में उनका यह कहना अगर बजट नहीं है तो मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा कोई मायने नहीं रखता क्योंकि चुनावों की घोषणा के बाद वैसे भी वो कार्यकारी मुख्यमंत्री है।

वीरभद्र सिंह का पूरा कार्यकाल अपने भ्रष्टाचार के मामलों के संभालने में गया है और अब ई.डी. ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के संबंध में उनकी 5. 6 करोड़ रुपये की सम्पत्ति और कुर्क कर ली है। उनके कुर्क किये गए पूरी संपत्ति अब 40 करोड़ हो गई है।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर बात करने पर वीरभद्र जी इधर उधर की बातें करना शुरू कर देते हैं। वो क्यों नहीं कभी इस मुद्दे पर खुल कर बोलते हैं। इस से साफ जाहिर होता है कि उन्हें जनता के हितों से कोई सरोकार ना होकर सिर्फ झूठे वादे करने और सब्ज बाग दिखाने की आदत पड़ चुकी है।

आपदा प्रबन्धन में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका

शिमला/शैल। आपदाओं की घटनाओं की तथ्यपरक रिपोर्टिंग तथा आम लोगों को इस बारे में संवेदनशील व जागरूक बनाने की दोहरी जिम्मेदारी के साथ आपदा पूर्व व बाद की परिस्थितियों में मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह बात हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण एचपीएसडीएमए द्वारा 'आपदा प्रबन्धन में मीडिया की भूमिका' पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए सूचना एवं जन सम्पर्क

विभाग के निदेशक दिनेश मल्होत्रा ने कही। उन्होंने कहा कि संचालन अभियानों कमियों के बारे में मीडिया से प्राप्त जानकारी को भविष्य में आपदा प्रबन्धन को सुदृढ़ व सुधार करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। मीडिया प्रशासन में अपनी भागीदारी निभाता है तथा सरकारी अधिकारियों और लोगों के बीच मध्यस्थता के रूप में कार्य करता है। उन्होंने कहा कि मीडिया को आपदा के उपरान्त और अधिक समाचार प्रकाशित करने चाहिए ताकि प्रबन्धन में अगर किसी कमी की बात सामने आती है तो उसमें सुधार किया जा सके।

मल्होत्रा ने कहा कि संभावित आपदा के संबंध में समय रहते उचित व्यक्तिगत तथा सामुदायिक कदम उठाए जा सकते हैं जिससे लोगों के बचाव तथा लोगों को संवेदनशील स्थान से बाहर निकालने जैसी बचाव रणनीतियों को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया जा सकता है। इस संबंध में संवाद से लोगों को प्राकृतिक विपत्तियों से बचने के लिए कारगर कदम उठाने के लिए शिक्षित, सूचित, जागरूक तथा सशक्त किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि आपातकालीन परिस्थितियों में लोगों तथा प्राधिकरणों को सूचित करने में प्रिंट, इलैक्ट्रॉनिक तथा सोशल मीडिया की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। मीडिया विशेषकर लोगों को जागरूक करने तथा आपदाओं के लिए तैयार रहने में अहम भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि आपात कालीन स्थिति में लोग अद्यतन, विश्वसनीय तथा विस्तृत जानकारी चाहते हैं तथा मीडिया को प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की आवश्यकता के अनुसार जानकारी प्रदान करने के लिए संवेदनशील रहना चाहिए। मीडिया को तथ्यरहित समाचारों को प्रकाशित करने से बचना चाहिए ताकि निराशा व हड़कंप पैदा न हो। मीडिया के माध्यम से लोगों तक विश्वसनीय तथा समय पर सूचना प्रदान करने से आपदा के दौरान तथा उसके उपरान्त किसी भी तरह के भय से उभरने में सहायता मिलेगी।

विशेष सचिव राजस्व डीएम डी.डी. शर्मा ने कहा कि मीडिया विभिन्न आपदाओं के बारे में लोगों को जागरूक बनाने तथा समाज की सोच को बदलने में अहम भूमिका निभाता है, जिससे लोगों को अग्रसक्रिय बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि एचपीएसडीएमए "लैगशिप जन-जागरूकता एवं क्षमता निर्माण अभियान आयोजित कर रहा है तथा प्रदेशभर में विभिन्न आयोजन करवाए जा रहे है। उन्होंने कहा कि इन गतिविधियों में आपदा जोखिम घटौती द्धडीआरआरत्र में मीडिया की भूमिका पर राज्य स्तरीय कार्यशाला प्रमुख है।

उन्होंने कहा कि इस अभियान के दौरान स्वयं सेवा संस्थाएं विद्यार्थी, बढ़ई तथा आम-जनमानस जैसे हितधारक शामिल थे। उन्होंने कहा कि इस वर्ष डीआरआर का मूल-विषय स्कूल सुरक्षा है। शिमला के गेयटी थियेटर में 12 अक्तूबर, 2017 को विद्यार्थियों के लिए प्रश्नोत्तरी तथा फिल्म शो आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि शिमला के रिज से 13 अक्तूबर, 2017 को मुख्य सचिव द्वारा जागरूकता रैली को हरी झण्डी दिखाई जाएगी।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश कुल 33 विपत्तियों में से 25 प्रकार की विपत्तियों के सन्दर्भ में संवदेनशील है। उन्होंने कहा कि खण्ड स्तर तक विपत्ति जोखिम संवदेनशीलता मूल्यांकन पर डिजीटल मानचित्र (एटलस) तैयार किया गया तथा वेबसाईट पर उपलब्ध ा है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के अध्यक्ष डॉ. विकास डोगरा ने आपदा में मीडिया की भूमिका पर कहा कि आपदा के पूर्व, दौरान तथा उपरान्त तीनों चरणों में मीडिया एक अहम भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि आपदा के दौरान सोशल मीडिया पर प्रकाशित की जाने वाली जानकारी को जॉचा तथा सत्यापित किया जाना चाहिए ताकि इस कठिन घड़ी में लोग गलत जानकारी से भ्रमित न हो।

कार्यशाला में प्रिंट तथा इलैक्ट्रनिक मीडिया के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

सतलुज जल विद्युत निगम के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को सौंपा 52.75 करोड़ का लाभांश

शिमला/शैल। सतलुज जल विद्युत निगम लिमटीड (एसजेवीएनएल) के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को 52.75 करोड़ रुपये के लाभांश का चौक सौंपा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार जल विद्युत ऊर्जा के दोहन को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है ताकि प्रदेश में उपलब्ध जल विद्युत क्षमता का पूर्ण दोहन किया जा सके।

उन्होंने कहा कि जल विद्युत के दोहन के लिए सरकारी क्षेत्र के साथ-साथ निजी क्षेत्र को भी निवेश के लिए प्रोत्साहित गया है ताकि इस क्षेत्र ज्यादा से ज्यादा निवेश आमंत्रित किया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश में छोटे और सुक्ष्म जल विद्युत परियोजनाएं लगाने की व्यापक सम्भावना मौजूद है, जिससे निवेशकों को उचित लाभ के साथ-साथ स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर पर भी उपलब्ध हो सकेंगे।

उन्होंने कहा कि प्रदेश की आर्थिक खुशहाली में जल विद्युत अहम रोल निभाती है तथा राज्य की 27,436 मैगावॉट की कुल उपलब्ध क्षमता में से अब तक 10,351 मैगावॉट विद्युत सृजित की गई है। गत पांच वर्षों के दौरान प्रदेश के घरेलु उपभोक्ताओं को उपदान दरों पर बिजली उपलब्ध करवाने पर 1490 करोड़ रुपये खर्च किए गए है। इस वित्त वर्ष के दौरान 450 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा रहा है।

इस अवसर पर परिवहन मंत्री जी. एस.बाली तथा एसजेवीएनएल के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

विधान सभा चुनावों से सम्बन्धित सूचना प्राप्त करने के लिए मिस कॉल सेवा आरम्भ

शिमला/शैल। निर्वाचन विभाग के प्रवक्ता ने जानकारी दी है कि लोकतंत्र में लोगों की अधिक से अधिक सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा पूरे राज्य में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा चुनाव सम्बन्धित जानकारी देने के लिए टॉल फ्री नम्बर 0177-2620551 स्थापित किया गया है। इस नम्बर पर विधानसभा चुनावों से सम्बन्धित तमाम सूचनाऐं प्राप्त करने के लिए मिस कॉल सेवा आम जनता की सुविधा के लिए आरम्भ कर दी गई है। कोई भी व्यक्ति इस नम्बर पर मिस कॉल देकर विधानसभा चुनावों से सम्बन्धित विभिन्न सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त करने के लिए सूचना प्राप्तकर्ता को दूरभाष का एक का अंक दबाना होगा जबकि मतदाता पहचान पत्र से सम्बन्धित जानकारी हासिल करने के लिए उन्हें दो का अंक दबाना होगा, मतदान केन्द्र से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त करने के लिए तीन, जबकि इ वी एम तथा वी वी पैट से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त करने के लिए चार दबाकर सूचना हासिल की जा सकती है। इसी प्रकार से सूचना प्राप्तकर्ता को आचार संहिता से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त करने के लिए पांच व चुनावों से सम्बन्धित अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी या ऑपरेटर से बात करने के लिए 9 दबाकर सूचना प्राप्त की जा सकती है।

आरओनैट माड्यूल तथा बूथ स्तरीय योजना में लम्बित मामलों पर शीघ्र कार्रवाई के निर्देशः पुष्पेन्द्र राजपूत

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पुष्पेन्द्र राजपूत ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को आरओनैट माडड्यूल तथा बूथ स्तरीय योजना में लम्बित मामलों पर शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वह वीडियो कक्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के जिला निर्वाचन अधिकारियों से आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने विशेष अभियान के दौरान प्राप्त फार्म संख्या 6, 7 व 8 का अंतिम निपटारा करने तथा लम्बित मतदाता फोटो पहचान पत्रों का वितरण यथाशीघ्र करने को कहा। इसके अतिरिक्त, मतदाता सूचियों से हटाए गए मतदाताओं के पुन: सत्यापन के कार्य को समयबद्ध निपटाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारियों से आदर्श आचार संहिता लागू होने पर तुरंत उठाए जाने वाले कदमों के लिये अभी से तैयार रहने को कहा। इसके अलावा, सभी प्रकार का भुगतान ई.लेन-देन अथवा कैशलेस सुनिश्चित बनाने के भी निर्देश दिए।

राजपूत ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम की सूची बनाने तथा इसे जल्द से जल्द पूरा करने को कहा। उन्होंने स्वीप गतिविधियों की नित्य प्रति रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा। साथ ही उन्होंने कुछ छूटे मतदान केन्द्रों में शीघ्र रैम्प के निर्माण के भी निर्देश दिए ताकि दिव्यांगजनों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने समस्त मतदान केन्द्रों में दूरभाष नेटवर्क व बिजली की सुविधा को समय रहते सुनिश्चित बनाने को कहा। उन्होंने कहा हालांकि, सभी जिलों को चुनाव सामग्री उपलब्ध करवा दी गई है।

कांगड़ा के जिला निर्वाचन अधिकारी ने अवगत करवाया कि विशेष अभियान के दौरान जिला में 29027 नये मतदाताओं का पंजीकरण किया गया। बूथ स्तर अधिकारियों से प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। वैब कास्टिंग के लिये जिला में 429 स्थल चिन्हित किए गए हैं। इसी प्रकार, हमीरपुर जिला में 2247 फार्म प्राप्त हुए, डि-नॉवो के अंतर्गत 8923 फार्म प्राप्त हुए। कर्मचारियों की डाटा एंट्री का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। चम्बा जिले में वेबकास्टिंग के लिए 220 स्थल चिन्हित किए गए हैं। 26 जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया है। मण्डी जिला में 9731 फार्म प्राप्त हुए हैं जबकि 1179 डि-नॉवो के अंतर्गत पंजीकरण किया गया है। वेबकास्टिंग के लिए 450 स्थानों का चयन किया गया है। स्वीप के अंतर्गत प्रसिद्ध गायिका अर्शदीप कौर तथा क्रिकेटर ऋषि धवन को ऑईकॉन बनाया गया है। इसी प्रकार सिरमौर जिले में ग्रेट खली, दिनेश शर्मा व सीता गोसांई स्वीप गतिविधियों के ऑईकॉन बनाए गए हैं।

अधिकांश जिला निर्वाचन अधिकारियों ने जानकारी दी कि मतदाताओं को ईवीएम व वीवीपैट की जानकारी उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया जारी है और अगले दो-तीन दिनों में शत-प्रतिशत लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा। इसके अलावा, स्वीप के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन राज्यभर में किया जा रहा है और स्कूलों, महिला मण्डलों, युवक मण्डलों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधियों को प्रश्नोत्तरी व वाद-विवाद प्रतियोगिताओं व शिविरों के माध्यम से मतदान के महत्व बारे जागरूक किया जा रहा है।

चुनावों के घोषणा के साथ कांग्रेस सरकार के दिन हुए खत्मःअनुराग ठाकुर

शिमला/शैल। सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा हिमाचल प्रदेश चुनावों की घोषणा के साथ ही भ्रष्टाचारी और जमानती कांग्रेस सरकार का कार्यकाल खत्म हो गया है और 9 नवंबर को वोटिंग मशीन में हर जगह लोग कमल का चिन्ह दबाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकासशील नेतृत्व में अपनी आस्था जताएंगे और भाजपा को भारी बहुमत से जिताएंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि, चुनावों की घोषणा के साथ ही हिमाचल प्रदेश में चल रहे भ्रष्टाचारी कांग्रेस सरकार का आखिरी चरण शुरू हो गया है और अगले 25 दिनों में वो पूरी ताकत के साथ चुनावों के प्रचार में जूट जाए और 18 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश विधानसभा पर भाजपा का परचम लहराए अनुराग ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार, प्रदेश के इतिहास में अब तक की सबसे असफल सरकार रही है जिसमे मुख्यमंत्री का पूरा 5 साल का समय अदालतों के चक्कर काटने में गया है और उन्हें प्रदेश के विकास की और ध्यान देने की फुर्सत भी नहीं थी. आखिरी कुछ दिनों में मुख्यमंत्री ने बेशक जगह जगह कई शिलान्यास और उद्घाटन किये हो लेकिन उनकी हालत ये है कि शिलान्यास किये गए योजनाओं के लिए बजट नहीं है और उद्घाटन किये गए काम अभी अधूरे पड़े है। प्रदेश की हालत यह है कि कर्मचारियों के वेतन देने के लिए भी सरकार को कर्ज लेना पड़ा है और इस सरकार की केवल एक उपलब्धि रही है कि प्रदेश सरकार ने पिछले 5 सालों में 18000 करोड़ का कर्ज सरकार ले चुकी है जो की पूर्व भाजपा सरकार द्वारा लिए गए कर्ज से दोगुने से ज्यादा है।

शिकारपरस्त राजा धर्म और अर्थ दोनों को नष्ट कर लेता है.....चाणक्य

सम्पादकीय

चुनाव आयोग की निष्पक्षता सवालों में

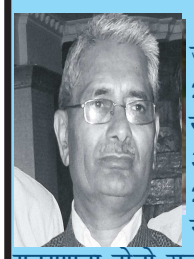

हिमाचल प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल 7 जनवरी और गुजरात विधानसभा का 22 जनवरी 2018 को समाप्त हो रहा है। पांच वर्ष पूर्व दोनों राज्यों की विधानसभाओं के लिये चुनावों की घोषणा 3 अक्तूबर 2012 को एक साथ कर दी गयी थी। 2012 में हिमाचल में मतदान 4 नवम्बर को और गुजरात में 13 और 17 दिसम्बर को हुआ था। मतगणना दोनो राज्यों में 20 दिसम्बर को हुई थी। लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने हिमाचल के लिये तो 12 अक्तूबर को चुनावों की घोषणा का दी परन्तु गुजरात के लिये नही की। आयोग की घोषणा के मुताबिक हिमाचल में 9 नवम्बर को मतदान होगा और 18 दिसम्बर को मतगणना होगी। हिमाचल के लिये चुनाव कार्याक्रम कर घोषणा करते हुए गुजरात के संद्धर्भ में आयोग इतना ही कहा कि वहीं पर भी 18 दिसम्बर से पहले चुनाव करवा लिये जायेंगे। परन्तु उसके लिये चुनाव तिथियों की घोषणा बाद में की जायेगी।

हिमाचल और गुजरात के बाद फरवरी, मार्च 2018 में मेघालय नागालैंड और त्रिपुरा विधान सभाओं के चुनाव होने है। स्वभाविक है कि इन राज्यों के लिये चुनाव कार्यक्रम की घोषणा हिमाचल – गुजरात के परणिामों के करीब एक पखवाड़े के बाद कर दी जायेगी। अभी कुछ दिन पहले ही चुनाव आयोग ने यह घोषणा की थी कि सितम्बर 2018 तक वह राज्यों की विधान सभाओं और लोक सभा के लिये एक साथ चुनाव करवाने के लिये तैयार होगा। स्मरणीय है कि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ने संसद में यह मंशा जाहिर की थी कि लोक सभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिये एक साथ चुनाव होने चाहिये और इसके लिये वह प्रयास करेंगे। स्वभाविक है कि प्रधानमन्त्री की इसी मंशा को अमली जामा पहनाने के लिये चुनाव आयोग ने इस दिशा में तैयारी करने के बाद मीडिया से यह विचार सांझा किये होंगे। विधान सभाओ और लोकसभा के चुनाव के एक साथ हो यह एक अच्छा कदम होगा। इससे चुनाव खर्च में कमी आयेगी। 1952 में हुए पहले चुनाव के बाद काफी समय तक एक साथ यह चुनाव होते रहे हैं लेकिन ऐसा करने के पीछे मंशा क्या है यह समझना महत्वपूर्ण और आवश्यक होगा क्योंकि इसमें निष्पक्षता ही सबसे आवश्यक मानदण्ड है।

लेकिन जहां 2018 में चुनाव आयोग इतने बड़े कार्यक्रम के लिये अपने को तैयार कर रहा है तो क्या उसके लिये आज इन पांच राज्यों के लिये एक साथ चुनाव करवाने की पहल नही कर लेनी चाहिये थी? परन्तु चुनाव आयोग तो आज हिमाचल और गुजरात के चुनाव एक साथ नही करवा पा रहा है। चुनाव आयोग की घोषणा के साथ ही हिमाचल में तो आचार संहिता लागू हो गयी है। इस घोषणा के साथ ही गुजरात को यह तो स्पष्ट हो गया है कि वहां भी चुनाव 18 दिसम्बर से दो–चार दिन पहले हो जायेंगे क्योंकि परिणाम दोनो ही राज्यों के एक साथ आयेंगे। लेकिन इससे गुजरात सरकार को अभी किसी भी तरह के लोक लुभावन फैसले लेने की सुविधा प्राप्त रहेगी। अभी प्रधानमन्त्री दो दिन के गुजरात दौरे पर जा रहे हैं और वह केन्द्र सरकार की ओर से राज्य को कुछ भी दे आयेंगे। चुनाव आयोग ने हिमाचल के साथ ही गुजरात के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा न करने का यह तर्क दिया है कि वहां की सरकार ने बरसात में वर्षा, बाढ़ से हुए नुकसान की मुरम्मत आदि के कार्यो को पूरा करने के लिये उसे कुछ समय चाहिए कि आयोग से मांग की है। आयोग ने सरकार के इस आग्रह को स्वीकार करते हुए चुनाव तारीखों की घोषणा कुछ समय के लिये टाल दी है। आयोग का यह तर्क अपने में बहुत कमज़ोर ही नही बल्कि काफी हास्यस्पद भी लगता है। क्योंकि सभी जानते हैं कि आचार संहिता लागू होने के बाद पुराने चले हुए कार्यो को पूरा करने पर कोई बंदिश नही होती है केवल एकदम नयी घोषणाएं नही की जा सकती है। आयोग के इस आचरण से उसकी निष्पक्षता पर स्वभाविक रूप से सन्देह उभरते हैं।

हिमाचल में 9 नवम्बर को मतदान हो जाने के बाद यहां का परिणाम 18 दिसम्बर को निकालने तक करीब चालीस दिन तक यहां की सरकार और पूरा प्रशासन पंगू बना रहेगा। आयोग ने मतदान से परिणाम तक इतना लम्बा समय इसलिये किया है ताकि हिमाचल का परिणाम पहले घोषित कर देने से इसका असर गुजरात पर न पड़े। गुजरात विधानसभा का कार्यकाल 22 जनवरी को पूरा हो रहा है जिसका अर्थ है कि वहां पर जनवरी में भी मतदान करवाया जा सकता है ऐसे में चुनाव आयोग को अपनी निष्पक्षता स्थापित करने के लिये हिमाचल का परिणाम मतदान के दो दिन बाद ही घोषित कर देना चाहिए ताकि यहां सरकार बनकर वह जन कार्यो में लग जाये और गुजरात के लिये चुनाव कार्यक्रम की घोषणा ही 15 दिसम्बर के बाद करनी चाहिये।

ग्रामीण भारत में बदलाव

तीव्र गति से कृषि और ग्रामीण रोजगार विकास हमेशा से देश के नीति निर्माताओं के केंद्र में रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारत की परिकल्पना स्वायत्त आत्मनिर्भर गांवो के लोकतंत्र के रूप में की थी। भूमि, ग्रामीण अस्तित्व और कृषि ढांचा भारत के विकास के सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। जमीन का असमान वितरण खेती के पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार था। ग्रामीण भारत में जमीन के महत्वपूर्ण आय का साधन होने को देखते हुए ग्रामीण जनसंख्या की समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए खेती के अधिकार ढांचे में बदलाव आवश्यक था। इसलिए देश की नीति, राज्य सरकार द्वारा भूमि सुधार कानूनो को बनाने और इनका क्रियान्यवन करने पर केंद्रित हुई। इनमें भूमि की अधिकतम सीमा, काश्तकारी और भूमि राजस्व अधिनियम और खेतीहर नीति में भूमि को विस्तृत रूप में सम्मिलित करना था। अधिक कृषि योग्य सरकारी भूमि निर्धनो और जरूरतमंद खेतीहरो को आजीविका के लिए वितरित की गई। इन नीतियो की परिकल्पना कृषि विकास को प्रोत्साहन देने और ग्रामीण निर्धनता को समाप्त करने के लिए की गई।

वी.श्रीनिवास

जुलाई 1969 में बैंको के राष्ट्रीयकरण के बाद बैंको की गतिविधियों का बड़े स्तर पर विस्तार किया गया। सामाजिक बैंकिग नीति के रूप में ग्रामीण क्षेत्रो में बैंको की शाखाओं का तेजी से विस्तार, कृषि और इससे जुडे कार्यो के लिए लिए बैंक ऋण का विस्तार, प्राथमिक आधार पर ऋण देने और ब्याज दरो की शुरूआत की गई। ग्रामीण क्षेत्रो में बैंको की शाखाओं के विस्तार ने ग्रामीण निर्धनता में कमी लाने और गैर कृषि वृद्धि के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हालांकि समय बीतने के साथ राज्यो में विकास के स्तर में अतंर महसूस होने लगा। समृद्व और तेजी से प्रगति कर रहे राज्य जहां ग्रामीण निर्धनता में कमी लाने में सफलता रहे, वहीं निर्धन राज्यो में विकास दर अस्थिर रही। तेजी से विकास कर रहे राज्यो ने जहां जमीन के पट्टो को निवेश, उत्पादन और वृद्धि के लिए प्रयोग करने हेतु एकीकरण कानून बनाए, वहीं निर्धन राज्यो में छोटे और मझौले किसानो की खेती से दूरी और इसके बाद उनके भूमिहीन कृषि मजदूर बनने उन्हें बाजार की अनिश्चितता पर पूरी तरह से निर्भर कर दिया। वर्षा पर आधारित खेती वाले क्षेत्रों में बड़े स्तर पर श्रमिकों का पलायन देखा गया है। समृद्ध राज्यो ने निर्धन राज्यों के मुकाबले अधिक निवेश और आधारभूत ढांचे का विकास किया। जिससे परिणामस्वरूप इन राज्यो में प्रति व्यक्ति आय में वृद्वि दर्ज की गई।

राज्यो ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कई कल्याणकारी कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया। इनमें रेगिस्तान विकास कार्यक्रम, सूखाग्रस्त विकास क्षेत्र कार्यक्रम और कृषि विकास कार्यक्रम शामिल हैं। इन कार्यक्रमों को विकेंद्रीकृत भागीदारी विकास म डल पर लागू किया गया। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य विस्तृत कृषि क्षेत्र का विकास चैक डैम और चारागाहों का निर्माण कर और पशु पालन गतिविधियों का विकास करना था। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में दूसरी फसल से कृषि श्रमिकों के लिए अधिक आय और कम प्रवास के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया गया।

राज्यों ने कई प्रत्यक्ष लाभकारी कार्यक्रम प्रारम्भ किये जिनका उद्देश्य आय में वृद्वि कौशल विकास, रहने के लिए घर और रोजगार सृजन था। ग्रामीण विकास विभाग ने प्रमुख योजनाओं राष्ट्रीय अर्बन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना पीएमएवाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पीएमजीएसवाई, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना डीडीयूजीकेवाई और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए)

कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया। मनरेगा के अखिल भारतीय स्तर पर क्रियान्वयन से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आय सृजन में महत्वपूर्ण परिणाम देखे गए। फरवरी, 2016 में प्रारम्भ किए गए राष्ट्रीय अर्बन मिशन के अंर्तगत प्रत्येक गांववासी को शहरी जीवन का अनुभव दिलाने और उन्हें शहरी सुविधाओं का लाभ दिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। डीडीयूजीकेवाई के अंतर्गत 15 से 35 आयुवर्ग के निर्धन परिवारों के युवाओं पर ध्यान केंद्रित कर उनकी आय के अन्य साधन का विकास कर युवाओं के रोजगार संबधी आशा पूरी की गई।

भारतीय किसान हमेशा से ऋण की उचित दरों और समय पर मिलने के प्रति चितिंत रहे है। इस दिशा में उठाए गए प्रमुख कदमों का उद्देश्य वित्तीय रूप से सबको शामिल करना था। प्रधानमंत्री जन धन योजना वित्तीय सेवाओं तक सबकी पहुंच सुनिश्चित करने के राष्ट्रीय मिशन को दर्शाती है। जनधन योजना ने बैकों में वंचित जनसंख्या तक ऋण सुविधा पहुंचाने संबंधी आवश्यक आत्मविश्वास जगाया है। जिसके फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में दिए जाने वाले ऋण में महत्वपूर्ण वृद्धि प्रदर्शित हुई है।

भारत जैसे विशाल देश को खाद्य उत्पादन तीव्र गति से बढ़ाने की आवश्यकता है। वर्ष 2016–17 के दौरान अब तक का सबसे अधिक खाद्य उत्पादन हुआ और यह 273.38 मिलियन टन के रिकार्ड स्तर पर पहुंचा। यह पिछले पांच वर्षो के औसत उत्पादन से 6.37 प्रतिशत अधिक है और वर्ष 2015–16 के मुकाबले 8.6 प्रतिशत अधिक है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 में मृदा के विश्लेषण के उद्देश्य से देश से सभी किसानों को वार्षिक आधार पर मृदा स्वास्थ्य कार्ड एसएचसी जारी करने की योजना की शुरूआत की। इसके साथ ही देश भर की खुदरा 885 कृषि उत्पादन विपणन समितियों को समान ई–प्लेटफार्म के द्वारा जोड़ने के लिए राष्ट्रीय कृषि बाजार ई–एनएम की शुरूआत की। इस पोर्टल को कई भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है जिससे किसानों को महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकेगी। राज्य सरकारें सभी प्रकार की फसलों में जोखिम को कवर करने वाले और उन्नत सिंचाई योजनाओं को प्रोत्साहन देने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के क्रियान्वयन के लिए तेजी से प्रयास कर रही है।

अहिंसक पथ के प्रेरक महात्मा गांधी

सत्य और अहिंसा के पुजारी एवं देश में आजादी की अलख जगाने वाले महात्मा गांधी ऐसे दूरदर्शी महापुरुष थे जो पहले ही यह भांप लेते थे कि कौन – कौन सी समस्याएं आगे चलकर विकराल रूप धारण करने वाली हैं। इसकी बानगी आपके सामने है। महात्मा गांधी ने जिन समस्याओं का सटीक समाधान खोजने पर अपना ध्यान केंद्रित किया था वे आज के हमारे युग में भारी बोझ बन गई हैं। विश्व स्तर पर फैली गरीबी, अमीर एवं गरीब के बीच बढ़ती खाई, आतंकवाद, जातीय यद्व, उत्पीड़न, भ्रष्टाचार, पूर्व और पश्चिम के बीच बढ़ता फासला, उत्तर और दक्षिण के बीच बढ़ती विषमता, धार्मिक असहिष्णुता तथा हिंसा जैसी समस्याओं पर अपनी नजरें दौड़ाने पर आप भी इस तथ्य से सहमत हुए बिना नहीं रहेंगे। यही नहीं, महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता एवं समानता, मित्रता एवं गरिमा, व्यैक्तिगत कल्याण और सामाजिक प्रगति जैसे जिन महान आदर्शों के लिए संघर्ष किया था, उनके लिए हम आज भी लड़ रहे हैं।

''अन्नामला''

महात्मा गांधी ने दुनिया के इतिहास में पहली बार जंग लड़े बिना ही एक विशाल साम्राज्य के चंगुल से छुड़ाकर एक महान देश को आजादी दिला दी। उस समय तक अमेरिका और एशिया के जितने भी उपनिवेशों ने यूरोप की औपनिवेशिक ताकतों से अपनी आजादी हासिल की थी उसके लिए उन्हें भयावह एवं विनाशकारी जंग लड़नी पड़ी थी। वहीं, दूसरी ओर महात्मा गांधी ने शांतिपूर्ण तरीके से यानी अहिंसा के मार्ग पर चलकर देश को बहुप्रतीक्षित आजादी दिला दी। यह इतिहास में 'मील का पत्थर' था। दूसरे शब्दों में, यह एक युगांतकारी घटना थी। यह निश्चित रूप से मानव जाति के इतिहास में महात्मा गांधी का अविस्मरणीय योगदान है – युद्ध के बिना आजादी।

दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह

यह अहिंसा की पहली जीत थी सविनय अवज्ञा की पहली जीत। इसने पूरी दुनिया के समक्ष पहली बार यह साबित कर दिया कि अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए हिंसा का रास्ता अख्तियार करना एक अप्रचलित या पुरातन तरीका है।

जब भी किसी बिगड़ते हालात से पूरे विश्वास के साथ, साहस के साथ, दृढ़ता के साथ एवं धीरज के साथ निपटा जाता है तो अहिंसा की तुलना में कोई भी हथियार अधिक कारगर साबित नहीं होता है। यह धरसना नमक वर्क्स और भारत की आजादी के लिए छेड़े गए आंदोलन का सबक था। यह महात्मा गांधी का महान ऐतिहासिक सबक था, लेकिन दुर्भाग्यवश दुनिया को अब भी यह सबक सीखना बाकी है।

महात्मा गांधी वर्ष 1906 से लेकर 30 जनवरी 1948 को अपनी मृत्यु तक अपने अहिंसक आंदोलन एवं संघर्ष के साथ अत्यंत सक्रिय रहे थे। इस अवधि के दौरान उन्होंने भारतीय एम्बुलेंस कोर के एक स्वयंसेवक के रूप में दक्षिण अफ्रीका में हुए बोअर युद्ध और जुलु विद्रोह में हिस्सा लिया। महात्मा गांधी दो विश्व युद्धों के साक्षी भी बने।

उनका अहिंसक संघर्ष काफी सक्रिय रहा था और जब भी जरूरत पड़ी, तो उन्होंने अफ्रीका में युद्ध की तरह अपनी अहिंसा को कसौटी पर रखा। जब भारत में सांप्रदायिक हिंसा की आग फैल गई तो वह भारत के पूर्वी भाग चले गए, ताकि वहां आमने – सामने रहकर हिंसक हालात का जायजा लिया जा सके।

नोआखली में शांति मिशन

'शिकागो डेली' के दक्षिण एशिया संवाददाता फिलिप्स टैलबॉट महात्मा गांधी के ऐतिहासिक मिशन के प्रत्यक्ष साक्षी थे। वह पश्चिम बंगाल के नोआखली गए और वहां फैली सांप्रदायिक हिंसा के दौरान महात्मा गांधी के साथ समय बिताया। उन्होंने कहा, 'छोटे कद का एक वृद्ध व्यक्ति जिसने निजी संपत्ति त्याग दी है, एक महान मानव आदर्श की तलाश में ठंडी धरती पर नंगे पैर घूम रहा है। प्राय: अप्रैल 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर ग्रेट ब्रिटेन में नए सिरे से चुनाव हुए और प्रधानमंत्री के रूप में लेबर पार्टी के क्लीमेंट एटली की अगुवाई में सरकार बनी, जिन्होंने भारत में विचार – विमर्श करने और स्वशासन का मार्ग प्रशस्त करने के लिए कैबिनेट मंत्रियों का एक प्रतिनिधिमंडल भारत भेजा। उस समय तक एक समुचित समझौता संभव नजर आ रहा था और एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाना था जिसके लिए कांग्रेस ने अपनी सहमति व्यक्त कर दी थी। हालांकि, जिन्ना एवं मुस्लिम लीग ने अलग राष्ट्र की वकालत की और 16 अगस्त 1946 को 'डायरेक्ट एक्शन डे' के रूप में मनाया, जिस वजह से कलकत्ता और पूर्वी बंगाल में अप्रत्याशित रूप से दंगे भड़क उठे।

सच्चाई को परखना

प्रतिक्रियास्वरूप, इस तरह के दंगे बंगाल के नोआखली और टिपराह जिलों में भड़क उठे। तब महात्मा गांधी ने एक संवाददाता के इस सुझाव को स्मरण किया एवं उस पर गंभीरतापूर्वक मनन किया कि उन्हें खुद किसी दंगा स्थल पर जाना चाहिए और व्यक्तिगत उदाहरण के जरिए अहिंसक ढंग से दंगों को शांत करने का रास्ता दिखाना चाहिए। महात्मा गांधी के अनुसार, 'अहिंसा की उनकी तकनीक कसौटी पर कसी जा रही है। यह देखना अभी बाकी है कि वर्तमान संकट में यह कितनी कारगर साबित होती है। यदि इसमें कोई सच्चाई नहीं है, तो बेहतर यही होगा कि मुझे खुद ही अपनी विफलता घोषित कर देनी चाहिए।' ठीक यही विचार इस अवधि के दौरान उनके प्रार्थना भाषणों में बार – बार व्यक्त किया गया था।

बंगाल में सांप्रदायिक अशांति के बाद महात्मा गांधी का संदेश यह था कि 'सांत्वना नहीं, बल्कि साहस ही हमें बचाएगा।' तदनुसार, महात्मा गांधी 7 नवंबर 1946 को नोआखली पहुंच गए और 2 मार्च 1947 को बिहार रवाना हो गए। ध्यान देने योग्य बात यह है कि 77 साल की उम्र में भी महात्मा गांधी अहिंसा और हिन्दू – मुस्लिम एकता में अपने विश्वास की सच्चाई को परखने के लिए नंगे पांव पूर्वी बंगाल के एक दूरदराज गांव जाने से पीछे नहीं हटे। महात्मा गांधी खुद दिसंबर 1946 के आखिर

तक श्रीरामपुर नामक एक छोटे से गांव में डटे रहे और अपने अनुयायियों को अन्य दंगा प्रभावित गांवों में यह निर्देश देकर भेज दिया कि वे उन गांवों में रहने वाले हिंदू अल्पसंख्यक की सुरक्षा और हिफाजत के लिए कोई भी जोखिम मोल लेने से पीछे न हटें। जनवरी में उन्होंने दो चरणों में नोआखली स्थित गांवों का व्यापक दौरा शुरू कर दिया। अपने बारे में उन्होंने कहा, 'मैं पूरे वर्ष या उससे भी अधिक समय तक यहां रह सकता हूं। यदि आवश्यक हो, तो मैं यहां मर जाऊंगा। लेकिन मैं मौन रहकर विफलता को स्वीकार नहीं करूंगा।'

उनकी दिनचर्या

गांवों के अपने दौरे के दौरान महात्मा गांधी ने नियमित रूप से तड़के 4 बजे उठने की आदत डाल दी। सुबह की प्रार्थना पूरी करने के बाद वह एक गिलास 'शहद युक्त पानी' पीते थे और सुबह होने तक तकरीबन दो घंटे अपने पत्राचार में लगे रहते थे। सुबह 7.30 बजे वह एक कर्मचारी और अपनी पोती के कंधों पर अपने हाथ रखकर सैर पर निकल जाते थे। हाथ से बुनी शॉल में लिपटे यह वृद्ध व्यक्ति काफी तेज कदमों से आगे – आगे चला करते थे। वह वृद्ध भारतीय तीर्थयात्रियों की तरह नंगे पांव चला करते थे। उनके आसपास कुछ अभिन्न व्यक्ति रहते थे जैसे कि प्रोफेसर निर्मल कुमार बोस, जो उनके बंगाली दुभाषिया थे और परशुराम, जो एक प्रकार के निजी परिचारक – कम – स्टेनोग्राफर थे। इसके अलावा, उनके आसपास एक – दो युवक, कुछ समाचार संवाददाता और मुस्लिम लीग के प्रीमियर एच. एस. सुहरावर्दी द्वारा मुहैया कराई गई पुलिसकर्मियों की एक टीम (महात्मा गांधी द्वारा बार – बार विरोध जताने के बावजूद) रहती थी। कई ग्रामीण भी उनके साथ उस गांव तक जाया करते थे जहां वह एक दिन ठहरते थे। शाम में प्रार्थना सभा आयोजित की जाती थी। इसके बाद एक परिचर्चा आयोजित की जाती थी जिस दौरान वह अपने जेहन में उठने वाले हर विचार को लोगों के सामने रखते थे जैसे कि गांव में साफ – सफाई, महिलाओं में पर्दा प्रथा, हिंदू – मुस्लिम एकता, इत्यादि। रात्रि लगभग 9 बजे वह मालिश के बाद स्नान करते थे। इसके बाद वह एक गिलास गर्म दूध के साथ जमीन के नीचे उपजने वाली एवं कटी हुई सब्जियों के उबले पेस्ट के रूप में हल्का भोजन लेते थे।

उनके मिशन की कवरेज

नोआखली में अपने प्रवास के लगभग चार महीनों में महात्मा गांधी ने 116 मील की दूरी तय की और 47 गांवों का दौरा किया। नवंबर – दिसंबर के दौरान एक महीने से भी ज्यादा समय तक वह श्रीरामपुर में एक ऐसे घर में रहे जो आधा जला हुआ था। उन्होंने 4 फरवरी और 25 फरवरी, 1947 को समाप्त दो समयावधि में अन्य गांवों का दौरा किया। वह 2 मार्च 1947 को हैमचर (नोआखली जिले में) से कलकत्ता होते हुए बिहार के लिए रवाना हो गए।

एक और 'करो या मरो' मिशन

महात्मा गांधी ने 5 दिसंबर, 1946 को नारनदास गांधी को लिखे एक पत्र में अपने मिशन के बारे में निम्नलिखित शब्दों में अभिव्यक्त किया: –

'वर्तमान मिशन मेरे जीवन में शुरू किए गए सभी मिशनों में सबसे जटिल है. . . मुझे याद नहीं है कि मैंने अपने जीवन में इस तरह के घनघोर अंधेरे का अनुभव इससे पहले कभी किया भी था या नहीं। रात काफी लंबी प्रतीत हो रही है। मेरे लिए एकमात्र सांत्वना की बात यह है कि मैंने हार नहीं मानी है या निराशा को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया है। यह पूरा किया जाएगा। मेरा मतलब यहां 'करो या मरो' से है। 'करो' से मतलब हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सौहार्द बहाल करने से है और 'मरो' से मतलब प्रयास करते – करते मिट जाने से है। इसे हासिल करना मुश्किल है। लेकिन सब कुछ ईश्वर की इच्छा के अनुरूप ही होगा।' (सीडब्ल्यूएमजी, 86: 197 – 98)

वह वास्तव में एक कठिन मार्ग पर नंगे पांव चलने वाले 'अकेले तीर्थयात्री' थे और वह लोगों की ताकत एवं अहिंसा की ताकत का नायाब प्रदर्शन करने में काफी हद तक सफल रहे।

मिशन गांधी:

जब पूरी दुनिया ने एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में अनुबंधित श्रम को स्वीकार कर लिया था, तब महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया। जब पूरी दुनिया ने यह स्वीकार कर लिया कि 'ताकतवर की बात ही सही माननी पड़ती है', तब महात्मा गांधी ने यह साबित कर दिया कि 'जो सही बात होती है उसे ताकतवर को भी माननी पड़ती है।' जब पूरी दुनिया ने मार – काट वाली लड़ाइयां लड़ीं, तब उन्होंने एक अहिंसक लड़ाई लड़ी। उन्होंने हिंसा के स्थान पर अहिंसा को अपना कर इतिहास की दिशा ही बदल दी। अब तक हिंसा ही राजनीतिक विवादों को सुलझाने का अंतिम हथियार थी, लेकिन अहिंसक प्रतिरोध अर्थात् सत्याग्रह के जरिए उनके योगदान के बाद अहिंसा ने पूरी दुनिया में लोगों के हालिया आंदोलन में सबसे अहम स्थान हासिल कर लिया है। पसूका

मंत्रिमण्डल के निर्णय

मंत्रिमण्डल ने पैट्रोल तथा डीजल पर घटाया वैट

शिमला/शैल। धार्मिक सम्पत्तियों पर हि.प्र. भूमि सीलिंग अधिनियम में सुधार का निर्णय मंत्रिमण्डल की बैठक में लोगों को पैट्रोल तथा डीजल की बढ़ती कीमतों से राहत दिलाने के लिए इन पर लागू वर्तमान वैट की दर में एक प्रतिशत की कटौती करने का निर्णय लिया गया ।

मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। मंत्रिमण्डल ने हि.प्र. सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग अधिनियम में उपयुक्त संशोधन करने का निर्णय लिया है ताकि जिन धार्मिक संस्थानों ने अपनी अतिरिक्त भूमि को बेचने, उपहार में देने या अन्य माध्यम से इसका निपटारा करने की छूट प्राप्त की है, वे यह भूमि हि.प्र.मुजारियत एवं कानून सधारअधिनियम के तहत परिभाषित कृषक को ही हस्तांतरित कर सकें।

बैठक में प्रदेश के दूर-दराज, सुविधा-रहित अथवा कम सुविधा वाले क्षेत्रों के लोगों को स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत किन्नौर तथा लाहौल-स्पीति को छोड़कर सभी 10 जिलों में मोबाईल चिकित्सा इकाईयां क्रियाशील बनाने का निर्णय लिया गया

मंत्रिमण्डल द्वारा राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा-108 के अन्तर्गत आपातकालीन स्थितियों में प्रतिक्रिया का समय कम करने के लिए प्रायोगिक आधार पर शिमला शहर में दो मोटर साईकिल एम्बूलेंस आरम्भ करने का निर्णय लिया गया ।

बैठक में हिमाचल प्रदेश के लिए विशेष तौर पर राज्य मानवाधिकार आयोग को क्रियाशील बनाने तथा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य के पद भरने का निर्णय लिया गया। आयोग के अध्यक्ष के लिए न्यायधीश सेवानिवृत जगदीश भल्ला तथा सदस्य के लिए हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष के.एस.तोमर का नाम प्रस्तावित किया गया। इस सम्बन्ध में राज्यपाल से स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है।

बैठक में शिमला जिला के रामपुरी मेले तथा ऊना जिला के हरोली उत्सव को जिला स्तरीय मेला घोषित करने का लिया निर्णय।

मंत्रिमण्डल ने नैना देवी जी के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र घवाकृडल को स्तरोन्नत कर 50 बिस्तरों वाले अस्पताल बनाने को दी मंजूरी।

बैठक में शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लंज को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने तथा ऊना जिला के लोहारा चन्नी देवी में तीन पदों के सृजन करने के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने तथा कुल्लू के बंजार की ग्राम पंचायत शिल्ही में दो पदों के सृजन के साथ स्वास्थ्य उप-केन्द्र खोलने को मंजूरी दी।

मंत्रिमण्डल ने बिलासपुर जिला के ग्राम पंचायत धौण-कोठी के बल्हो तथा लूहणू कनैता में आवश्यक पदों सहित स्वास्थ्य उप केन्द्र खोलने को मंजूरी दी।

बैठक में रोहडू की ग्राम पंचायत सीमा रनताड़ी के स्वास्थ्य उप-केन्द्र बारटु को तीन पदों के सृजन सहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने, सोलन जिले की ग्राम पंचायत मांगल के स्वास्थ्य उप-केन्द्र बाग्गा को आवश्यक पदों सहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने तथा रामपुर तहसील की ग्राम पंचायत खमाड़ी में गांव खमाड़ी में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की स्वीकृति दी गई।

मंत्रिमण्डल ने सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग में उप-सम्पादक के एक पद तथा आशुटंकक के चार पदों को भरने को मंजूरी प्रदान की।

बैठक में उच्च न्यायालय रजिस्ट्री में एक पद पंजीयक तथा पंचायती राज विभाग में पंचायत निरीक्षक का एक पद सृजित करने को मंजूरी दी गई। बैठक में शेष छः जिलों में कोषाधिकारी का एक-एक पद सृजित व भरने को भी स्वीकृति दी गई।

अन्य निर्णय मंत्रिमण्डल ने सोलन जिला के दाड़लाघाट में उप-कोषागार खोलने तथा कोषागार, लेखा व लॉटरी विभाग में पांच पद सृजित करने का निर्णय लिया।

बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा मण्डी तथा कुल्लू जिला के लिए की गई घोषणाओं को पूरा करते हुए इन जिलों के अनेक प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च पाठशालाओं को स्तरोन्नत करने को मंजूरी प्रदान की गई।

बैठक में कांगड़ा जिला ज्वाली में लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में अतिरिक्त आवास निर्मित करने का निर्णय लिया गया।

बैठक में शिमला जिला के रामपुर के देलठ में लोक निर्माण विभाग के नए अतिथि गृह निर्माण को मंजूरी दी।

बैठक में सोलन जिले की अर्की तहसील के सायरी में नया पुलिस थाना खोलने तथा मण्डी जिले के सरकाघाट तहसील के बलद्वाड़ा स्थित पुलिस चौकी को पुलिस थाना में स्तरोन्नत करने को मंजूरी दी। बैठक में सरकाघाट के भदरोता में लोक निर्माण विभाग का उपमण्डल खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई।

चुनावों की हवा में उड़ेंगे कांग्रेस सरकार द्वारा लगाए नकली फट्टेः धूमल

हमीरपुर/शैल। हमीरपुर में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने चुनाव आयोग का धन्यवाद करते हुए कहा की जो इन्तजार हिमाचल की जनता कई दिनों से कर रही थी, वो इंतजार की घड़ियाँ अब खत्म हुई हैं। झूठी घोषणाओं की सरकार के जाने का वक्त आ गया है। इस घोषणा के साथ यह सन्देश बड़ा ही स्पष्ट है कि हिमाचल प्रदेश में अब सत्ता का बदलाव होगा, माफिया राज खत्म होगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा और महिलाओं के साथ होने वाले दुर्व्यवहार का भी अंत होगा। प्रो. धूमल ने विशवास जताते हुए कहा की हिमाचल की जनता भाजपा भारी बहुमत से जीतेगी और रिकॉर्ड सीटें जीत कर एक लोक प्रिय सरकार प्रदेश में बनाएगी।

प्रो. धूमल ने चुनावी मुद्दों के सवाल पर कहा कि कहा कि प्रदेश में चुनावों में भ्रष्टाचार का मुद्दा सबसे बड़ा होगा, दुसरे नम्बर पर माफियाराज का, महिलाओं के विरुद्ध किये जा रहे दुर्व्यवहार, दुष्कर्म, उनके साथ सामूहिक बलात्कार, उनकी हत्याएं, कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई, प्रदेश पर बढ़ता हुआ कर्ज का बोझ, बिना बजट, बिना प्रावधान का। कांग्रेस सरकार ने बिना डीपीआर बनाये बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास केवल फट्टे लगा कर किया गया है, जो चुनाव की हवा के साथ सब फट्टे उड़ जायेंगे और हिमाचल की जनता कांग्रेस को असली धरातल दिखायेगी।

प्रो. धूमल ने कहा कि पूर्व में हुए चुनावों में जनजातीय भाई बहनें समझते थे कि उनको अपना मत व्यक्त करने का मौका नहीं मिलता और जब तक वहां चुनाव होता है तब तक सरकार बन गयी होती है अब यह समस्या भी सुलझ चुकी है। सारे प्रदेश में एक साथ चुनाव होगा और एक साथ परिणाम आयेंगे।

नौ तारीख चूँकि पूर्व सीएम का शुभांक भी है और इसी दिन चुनाव होगा इस सवाल के उत्तर में प्रो. धूमल ने कहा यह प्राकृतिक सयोंग है और इस दिन ईश्वर के साथ साथ प्रदेश की जनता का भी आशीर्वाद भाजपा के उम्मीदवारों को मिलेगा।

प्रो. धूमल ने प्रत्याशियों की सूचि जारी होने के सवाल पर कहा की सधारणतय उम्मीदवारों की लिस्ट तभी जारी होती है जब चुनावों की घोषणा हो जाती है। अब शीघ्र ही भाजपा के सभी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो जायेगी।

प्रो. धूमल ने कहा की भाजपा एक जुट होकर चुनाव मैदान में उतारेगी और अपने सभी उम्मीदवारों को भारी बहुमत से जिताएगी। प्रदेश में एक आदर्श सरकार देकर हिमाचल को देश का सबसे विकसित राज्य बनाकर लोगों को राहत पहुंचाएंगे। जो भी लोग प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की नीतियों में विश्वास रखते हुए भाजपा में आना चाहेंगे उनका स्वागत है।

प्रो. धूमल ने कहा की हिमाचल के चुनाव में हिमाचल के ही मुद्दे होंगे। हिमाचल में तो मुख्यमंत्री और इनके परिवार का ही मुद्दा है। हिमाचल की जनता प्रदेश के मुद्दों के आधार पर फैसला लेगी। केंद्र की सरकार हमेशा ही प्रदेश की मदद करती रही है। बहुत कुछ केंद्र ने प्रदेश को दिया लेकिन प्रदेश सरकार इन सौगातों का लाभ उठाने में असफल रही है, लेकिन हम सरकार बनाकर इन सौगातों का लाभ उठाएंगे और अविरल विकास प्रदेश का करवाएंगे।

प्रो. धूमल ने वीरभद्र सिंह के ब्यान की हिमाचल में कोई मोदी फेक्टर नहीं होगा पर चुटकी लेते हुए कहा कि सबको याद है कि यही बात वीरभद्र सिंह ने 2014 के लोकसभा चुनावों से ठीक पहले कही थी कि मोदी तीन बार के सीएम हैं और में छः बार का हूँ और प्रदेश में कोई मोदी लहर नहीं है। तब हिमाचल में इतना मोदी फेक्टर चला कि सारे देश में हिमाचल में सबसे ज्यादा वोट, त्रेप्पन दशमलव आठ प्रतिशत भाजपा को मिले। चारों की चारों सीटें चुनाव में जीती, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव जीते, उपचुनाव जीते, शिमला का नगर निगम जीते। तीन जीत हम कर चुके हैं अब विस चुनाव जीत कर चौका हम लगायेंगे। विधानसभा का चुनाव भारी बहुमत से हम जीतेंगे।

आधे मंत्रियों के अनुपस्थिति में हो रहे कैबिनेट निर्णयः अनुराग ठाकुर

हमीरपुर/शैल। सांसद अनुराग ठाकुर ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से प्रश्न किया है कि आखिर पिछले 36 दिनों में 5 कैबिनेट मीटिंग कर और सरकार के कार्यकाल के आखिरी दिनों में हड़बड़ी में निर्णय लेकर वो क्या

साबित करना चाहते है?

अनुराग ठाकुर ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से पूछना चाहता हूँ कि आखिर वो और उनकी सरकार पिछले 5 साल क्या कर रही थी जो अब जाकर उन्हें बार बार कैबिनेट मीटिंग कर निर्णय लेने पड़ रहे हैं और मुख्यमंत्री और उनके मंत्री एक ही साथ कई कार्यो के शिलान्यास और उद्घाटन कर रही है? जिन कार्यो का उद्घाटन हो रहा है उनमें कई कार्य अभी अधूरे है और उन्हें पूर्ण होने में कम से कम 6 महीने का समय लग सकता है। ऐसे में मुख्यमंत्री और उनके मंत्री अधूरे कामों का उद्घाटन कर जनता के बीच हंसी का पात्र न बने। क्योकि जनता यह हतकडे खूब समझती है और वो इनके झांसे में नहीं आनेवाली। कैबिनेट मीटिंग का तो ये हाल है की शाम की मीटिंग की सुचना मंत्रियों को सुबह दी जाती है, जिससे मंत्री बैठक में हिस्सा लेने तक नहीं पंहुच पाते और आधे मंत्रियों के अनुपस्थिति में निर्णय होते हैं।

अनुराग ठाकुर ने आगे कहा कि पिछले 5 सालों में मुख्यमंत्री ने करीब 1600 घोषणाएं की है और उनमे से 1300 घोषणाओं का जमीं पर कोई नामोनिशान नहीं है। उनके इस खाली घोषणाओं के कारण हिमाचल प्रदेश विकास में 10 साल पिछड़ गया है। अगर पिछले 5 साल में मुख्यमंत्री अपने भ्रष्टाचार और कोर्ट केसों से हटकर, विकास पर थोड़ा भी ध्यान देते तो उन्हें आज ये दिखावा करने की जरुरत नहीं पड़ती। लेकिन क्योकि अब उन्हें पता लग गया है कि कांग्रेस और वे खुद चाहे कितना भी जोर लगा ले, वे वापस सत्ता में वापसी नहीं करेंगे तो अब उनके पैरो तलें जमीं खिसक गयी है और अब वो जनता को रिझाने के लिए पुरे राज्य में दौड़ रहे है और कोरी घोषणाएं कर रहे है।

पेट्रोलियम पदार्थो पर वैट कम करने पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि, केंद्र सरकार के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर मात्र 1 फीसदी वैट घटाया है जिससे पेट्रोल की कीमत 52 पैसे और डीजल की कीमत में 43 पैसे की कमी आयी है, जो की ऊंट के मुंह में जीरे के समान है।अगर राज्य सरकार को जनता के हित की इतनी ही फिक्र होती तो वो बीजेपी शासित गुजरात और महाराष्ट्र की तरह वैट में भारी कमी करते।

आदर्श चुनाव सहिंता तोड़ने वालों पर सख्त करवाई करे चुनावआयोगःअंकुश

हमीरपुर/शैल। आदर्श चुनाव सहिंता प्रदेश में लागु हो चुकी है लेकिन कांग्रेस मुखिया की विस में सरेआम इसका उलंघन किया जा रहा है। नादौन में तहसीलदार द्वारा जब्त की गयी मशीनें इसका स्पष्ट प्रमाण है। जब उक्त स्थान पर छापा पड़ा तो वहां मौजूद कांग्रेसी भाग खड़े हुए। जो स्वयं संकेत करता है कि दाल में कुछ काला जरुर है। जब कांग्रेस अध्यक्ष के क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ता अचार सहिंता की परवाह नहीं कर रहे तब पूरे प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकर्ता कहाँ चुनावों को निष्पक्ष होने देंगे इस बात पर संशय बन गया है। चुनाव आयोग को इस मामले की गंभीरता को समझते हुए जांच करनी चाहिए तथा दोषियों के विरुद्ध कार्रवाही करनी चाहिए। क्या नादौन में पकड़ी गयी मशीनें मतदाताओं को लुभाने की मंशा से तो छुपा कर नहीं रखी गयी थी इस बात की भी जांच चुनाव आयोग को करनी चाहिए। इतनी बड़ी संख्या में यह मशीनें वहां कैसे पहुंची यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। सरकारी मशीनरी का दुरूपयोग कांग्रेस पार्टी इन चुनावों में मतदाताओं को रिझाने के लिए कर रही है जिसका की भाजपा पुरजोर विरोध करती है और आयोग से यह भी मांग करती है कि जिन अधिकारियों की मिलीभगत से कांग्रेस पार्टी चुनाव अचार सहिंता का उलंघन करने में लगी हुई है उन पर भी कड़ी कार्रवाही की जाए। पांच वर्ष तक सत्ता सुख भोगने वाले कांग्रेसी अब चुनावों में अपनी हार निश्चित देख ओच्छी हरकतों पर उतर आये तो हैं फिर भी चुनावों में कांग्रेस को ऐतिहासिक हार का स्वाद चखने को मिलेगा।

शिमला दूरदर्शन में एक और कांड उजागर

शिमला/शैल। शिमला दूरदर्शन में भाई-भतीजावाद का बोलबाला किस कदर है इसका खुलासा प्रदेश हाईकोर्ट में एक कैजुएल कर्मचारी ओवैस खान की याचिका पर प्रदेश हाईकोर्ट की ओर से दिए फैसले मे हुआ है। प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि दूरदर्शन में जिन लोगों ने आडिशन पास किया उनके बजाय जिन्होंने आडिशन तक पास नहीं किया हैं, उन्हें काम दे देना भाई भतीजावाद का जीता जागता उदाहरण है।

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में आब्जर्व किया है कि '' Unfortunately the aforesaid only depicts sordid despotic and nepotic functioning of the respondents and its officials. It is highly regrettable that the officials have forgotten that the offices entrusted to them are sacred trusts and are meant for use and not abuse. Therefore, it is high time that the respondents put their house in order by framing Rules/ Regulations/Guidelines etc. wherein apart from other things procedure for engagement and allotment of work to artists like the petitioner is reasonable, fair, just, transparent and non & exploitative and not arbitrary, fanciful, unjust and exploitative. The same should not confer any unbridled and un & canalised or arbitrary power on the authority i-e- the respondents.

ये है मामला

कैजुअल कर्मचारी औवेस खान ने दूरदर्शन शिमला में एंकर, प्रोग्राम प्रेजेंटेटर के लिए आडिशन दिया था व दूरदर्शन ने उसे 16 मई 2013 को आडिशन में पास कर दिया और 23 मई 2013 को ही उसे कांट्रेक्ट की चिट्ठी भी दे दी। खान ने 14 अगस्त 2014 तक 40 के करीब प्रोग्राम दूरदर्शन पर बतौर एंकर पेश किए व किसी ने भी उनके काम पर असंतोष जाहिर नहीं किया। लेकिन इसके बाद दूरदर्शन के कर्ताधर्ताओं ने काम देना बंद कर दिया जबकि उन लोगों को काम दिया जाता रहा जिन्होंने आडिशन पास ही नहीं किया था।

इस पर खान ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी व अदालत से आग्रह किया कि दूरदर्शन के रोजमर्रा के कामकाज की जांच की जाए व दोषी पाए जाने वाले अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अपने जवाब में दूरदर्शन ने कहा कि खान का काम संतोषजनक नहीं रहा है व विशेषज्ञों ने उसके काम को लेकर नकारात्मक टिप्पणियां की हैं। जिसके बाद उसे काम देना बंद कर दिया। इसके अलावा दूरदर्शन ने अपने जवाब में ये भी कहा कि इसका व्यवहार ठीक नहीं हैं व इसे बेहतर काम करने के लिए मौखिक तौर पर भी कहा गया लेकिन सुधार नहीं हुआ।

ओवैस खान ने दूरदर्शन में आरटीआई लगाई व ये जानकारी मांगी कि जिन विशेषज्ञों ने उनके काम पर असंतोष जाहिर किया हैं, उन टिप्पणियों को उसे दिया जाए। दूरदर्शन ने अपने जवाब में कहा कि खान दूरदर्शन का न तो स्थाई कर्मचारी है और न ही कांट्रेक्ट पर है। दूरदर्शन ने हैरानी वाला जवाब दिया कि विशेषज्ञों की टिप्पणियों को याचिकाकर्ता को नहीं

दिया जा सकता। क्योंकि इससे उनकी जान को खतरा हो सकता है। व ये गोपनीय जानकारी है। अदालत ने आब्जर्व किया कि याचिकाकर्ता सबको जानता है ऐसे में ऐसा जवाब देना आरटीआई के प्रावधानों से जानबूझ कर अनजान होना है या याचिकाकर्ता को जानबूझ कर गुमराह करना है।

खान ने आरटीआई में ये भी पूछा था कि कैजुअल कर्मचारियों को लेकर प्रसार भारती के क्या नियम व रेगुलेशन हैं। जिस पर दूरदर्शन ने जवाब दिया कि इस बावत कोई कायदा कानून नहीं। अदालत ने कहा कि सरकार कायदा कानून बनाने के लिए बाध्य हैं।

जस्टिस त्रिलोक चौहान ने अपने आदेश में आब्जर्व किया जब केस की आखिरी सुनवाई थी तो दूरदर्शन की ओर से कर्मचारी धारा सरस्वती ने माना कि याचिकाकर्ता की आरटीआई का दिया जवाब सही भाषा में नहीं था व तीन हफ्ते का समय मांगा।

अदालत ने यहां ये आब्जर्व किया "Ms. Dhara Saraswati, Program Executive, Doordarshan Kendra, Shimla is present in person. She has candidly admitted that the replies to the queries raised by the petitioner in his application under RTI Act, are not very happily worded. She prays for and is granted three weeks' time to place on record the relevant rules/instructions/ guidelines etc. Regarding the working of the Doordarshan Kendra, Shimla-ß

It is in compliance to the aforesaid directions that the respondents have thereafter filed the affidavit alongwith so called rules/regulations/ guidelines etc. In the affidavit so filed, it would be noticed that the respondents have placed on record the extracts of Sections VI and VIII of certain guidelines (the name whereof has not been spelt out in the affidavit)

अदालत ने इन दिशा निर्देशों को न तो पारदर्शी पाया और न ये शोषणरहित थे।

अदालत ने कहा कि The respondents being creation of a statute are not free to act like an ordinary individual, in dealing with the public while giving jobs, as it cannot act arbitrarily at its, sweet will and, like a private individual, deal with any person it pleases, but its action must be in conformity with some standard or norm which is not arbitrary, irrational or irrelevant. The action of the respondents must not be arbitrary or capricious, but must be based on some principle which meets the test of reason and relevance. After all, it is the p rinciple of reasonableness and non & arbitrariness in governmental action that lies at the core of our entire constitutional scheme and structure-

खान पर रवैये पर लगाए गए इल्जाम को लेकर अदालत ने कहा कि "Adverting to the contention of the respondents that the work and conduct of the petitioner was not found to be in order. Suffice it to say, that the respondents have failed to place on record any material which may even remotely suggest that his work, conduct and performance were not upto the mark.

Therefore, in such circumstances this Court has no hesitation to conclude that the petitioner was wrongly denied the programe anchoring / presentation work after 14.8.2014 or else nothing prevented the respondents from placing on record any material which could have substantiated the plea so raised by them.

अदालत ने आब्जर्व किया कि "A glaring instance of the nepotic functioning of the respondents comes to light when it has chosen to award work to even those programme anchor/ presenters, who have failed to qualify such anchoring/audition test in preference to those, who like the petitioner, have duly qualified the audition test.

जस्टिस त्रिलोक चौहान ने अपने आदेश में कहा कि "In view of the aforesaid discussion, I find merit in this petition and the same is allowed in the following terms:

i)That the respondents are directed to frame appropriateguidelines / rules /regulations etc., as the case may be] within three months in accordance with the observations made hereinabove.

ii) Till such time the direction (i) is not complied with respondent No.2 is directed to provide programe/anchor/ presentation work to the petitioner as per his suitability in preference to those anchors, who have not qualified any audition test for the said purpose.

For compliance of direction No.(i) the matter be listed on 10.1.2018.

दूरदर्शन शिमला में भाईभतीजावाद का भंडा तो आदलत में फूट गया। इससे पहले भ्रष्टाचार को लेकर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर रखी है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि शिमला दूरदर्शन के क्या हाल है।

कोआपरेटिव सोसायटी की आड़ में जमीन घोटालों का भंडाफोड़

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कोआपरेटिव सोयाटीज की आड़ में हिमाचल में मुजारा कानून का उल्लंघन कर जमीनों की खरीद फरोख्त व बाकी संपतियां बनाने के प्रदेश भर में फैले भारी घोटाले को छह महीने के भीतर खंगाल कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अब समय आ गया है कि प्रदेश में चल रहे इस तरह के जमीनी घोटालों को तबाह किया जाए। हाईकोर्ट के जस्टिस त्रिलोक चौहान ने सभी जिलों के जिलाधीशों को निर्देश दिए है कि वो ऐसी सभी सोसायटीज का पता लगाए जिनहोंने फर्जीवाड़ा कर टेनेंसी एक्ट का उल्लंघन किया है और प्रापर्टी बनाई है। जिन सोसायटियों ने इस तरह की खरीद फरोख्त की है उनके खिलाफ आपराधिक प्रक्रिया ही नहीं उनकी इन संपतियों को भी सरकार में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू करें। अदालत ने कोआपरेटिव विभाग के खिलाफ भी टिप्पणियां की है व कहा है कि सारे कागजात उसके बाद पास आते हैं ऐसे में बिना मिलीभगत के इस तरह के घोटाले नहीं हो सकते।

जस्टिस त्रिलोक चौहान ने अपने आदेश मे रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसायटी के अलावा पुलिस विभाग को इस तरह की ऐसी सोसायटियों, सदस्यों जिन्होंने टैनेंसी एक्ट की अवहेलना कर प्लाटों की खरीद फरोख्त की हैं, उनकी पहचान व कार्रवाई करने में जिलाधीशें को सहयोग करें।

मामला नालागढ़ की एक सोसायटी का है इस सोसायटी का कायक्षेत्र नालागढ़ के गांव कत्था व बिल्लावली गांव के तहत हैं। इस सोसायटी के मेंबर इन्हीं गावों के होने चाहिए थे। लेकिन अदालत में सामने आया कि सोसायटी के 173 सदस्यों में केवल 14 इन गांवों के थे बाकी 159 सदस्य बाहर के थे। ये लोग जाली पते देकर सोसायटी के मेंबर बन गए और यहां प्लाट ले लिए।

अदालत में याचिकाकर्ता का ये सच भी सामने आया कि उसने परवाणू का जाली पता दिया और मेंबर बन गया है। जबकि जांच होने पर सामने आया कि वो पंजाब के लुधियाना का रहने वाला था। इसके अलावा दूसरे याचिकाकर्ता एमआइजी प्लाट नं 91, सेक्टर 4 परवाणू का पता देकर मेंबरशिप ले रखी थी लेकिन जांच में सामने आया कि ये प्लाट किसी कृष्ण मलहोत्रा का है।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

ई डी के 12 अक्तूबर के कथित अटैचमैंट आर्डर से ऐजैन्सी की नीयत और नीति पर उठे सवाल

शिमला/शैल। मुख्यमन्त्री वीरभद्र सिंह एवम उनके परिवार के खिलाफ चल रहे मनीलॉड्रिंग मामले में ईडी ने तीसरी बार संपति अैटच किये जाने के आदेश किये हैं। पहला अटैचमैन्ट आर्डर 23 मार्च 2016 को जारी हुआ था। इसके तहत प्रतिभा सिंह के नाम पर दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में खरीदा गया मकान अटैच हुआ था। इस अैटचमैन्ट के बाद ही एलआईसी ऐजैन्ट आनन्द चौहान को ईडी ने जून 2016 को गिरफ्तार किया था जो अब तक हिरासत में ही चल रहा है। इसके बाद ईडी ने वीरभद्र, प्रतिभा सिंह और अन्य को सम्मन किया था। वीरभद्र और प्रतिभा सिंह ने सम्मन किये जाने को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी। लेकिन इसी बीच ईडी ने 31.3.2017 को दूसरा अटैचमैन्ट आर्डर जारी करके दिल्ली के डेरा मंडी महरौली स्थित फार्म हाऊस को अैटच कर दिया। यह फार्म हाऊस विक्रमादित्य और अपराजिता की कंपनी मैप्पल डैस्टीनेशन और ड्रीम बिल्ड के नाम पर खरीदा गया है।

इस अटैचमैन्ट के बाद ईडी के सम्मन आदेश को चुनौती देने वाल मामलें में दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला आया। सम्मन आदेश को without jurisdiction and authority law कह कर चुनौती दी गयी थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने वीरभद्र की याचिका को अस्वीकार करते हुए तीन जुलाई 2017 को अपने फैसले में यह कहा कि **It is clear from the above discussion that the Prvention of Money- Laundering Act, 2002 is a complete Code which overrides the general criminal law to the exrent of inconsistency. This law establishes its own enforcement machinery and other authorities with adjudicatory powers and jurisdiction. There is no requirement in law that an officer empowered by PMLA may not take up investigation of a PMLA offence or may not arrest any person as permitted by its provision without obtaining authorization from the court. Such inhibitions cannot be read into the law by the court.** उच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद अब 12.10.17 को ईडी की ओर से एक अटैचमैन्ट आर्डर जारी किये जाने की खबर सामने आयी है। इस अैटचमैन्ट आर्डर में प्रतिभा सिह, विक्रमादित्य और अपराजिता की 5.6 करोड़ की और संपति इसी फार्म हाऊस से जुड़ी हुई होने को अटैच किये जाने का दावा किया गया है। वीरभद्र ने इस तीसरे कथित अटैचमैन्ट आर्डर को आधारहीन करार देते हुए आरोप लगाया है कि किसी और की संपति अटैच की गयी है। जिसे शरारतपूर्ण तरीके से वीरभद्र के परिजनों के नाम पर दिखा दिया गया। वीरभद्र ने इसे परिवार को बदनाम करने का प्रयास बताया है।

स्मरणीय है कि इस मनीलॉड्रिंग मामले में गिरफ्तार चल रहे आनन्द चौहान के खिलाफ ईडी ट्रायल कोर्ट में चालान दायर कर चुकी है। आनन्द चौहान वीरभद्र के साथ यह अभियुक्त है। वह मुख्य आरोपी नहीं है। आनन्द चौहान के खिलाफ यह आरोप है कि उनके माध्यम से ली गयी एलआईसी पालिसियां ग्रेटर कैलाश का मकान खरीदने में निवेश हुई है। दिल्ली के डेरा मण्डी मैहरौली में खरीदे गये फार्म हाऊस में वक्कामुल्ला से लिया गया कर्ज निवेशित हुआ है। इसी आधार पर ईडी ने जो अटैचमैन्ट आर्डर 23.3.2016 को जारी किया था उसमें स्पष्ट कहा है कि वक्कामुल्ला से लिये गये कर्ज को लेकर अभी जांच पूरी नही हुई है। इस जांच के पूरा होने के बाद इस मामले में अनुपूरक चालान दायर किया जायेगा। लेकिन यह चालान अब तक दायर नही हुआ है। अब माना जा रहा है कि 31.3.2017 को जारी अटैचमैन्ट आर्डर के साथ ही इस मामले में ईडी की जांच पूरी हो गयी है। आनन्द चौहान के खिलाफ दायर हुए चालान में अगली कारवाई तब तक आगे नही बढ़ सकती है जब तक की उसमें यह अनुपूरक चालान दायर नही हो जाता है। ट्रायल कोर्ट ने ईडी को पिछली बार निर्देश दिये थे कि इस मामले में 31.10.2017 तक अनुपूरक चालान दायर किया जाये।

अब ईडी को 31 अक्तूबर तक यह चालान दायर करना है। अभी जो अैटचमैन्ट आर्डर प्रचारित हुआ है उसमें वक्कामुल्ला के माध्यम से हुए निवेश का जिक्र आया है। वक्कामुल्ला से वीरभद्र परिवार ने कर्ज लिया है इसे परिवार स्वीकार कर चुका है ईडी के मुताबिक इस कर्ज का निवेश फार्म हाऊस खरीदने में हुआ है और इस नाते यह Crime Proceed बन जाता है तथा इसी आधार पर इसकी अटैचमैन्ट हुई है। लेकिन जब 23.3.2016 को पहला अटैचमैन्ट आर्डर जारी हुआ था उसके बाद ही आनन्द चौहान की गिरफ्तारी हुई थी। परन्तु 31.03.2017 को हुये अटैचमैंट आर्डर के बाद कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसीलिये अब जो अैटचमैन्ट आर्डर 12 अक्तूबर को जारी हुआ प्रचारित हुआ है जिसे वीरभद्र ने आधारहीन करार दिया है। तो इससे ई डी की नीयत और नीति को लेकर सवाल उठने स्वभाविक है। इस आर्डर के प्रचार से यह सन्देह बन रहा है कि इसमें कहीं ईडी वक्कामुल्ला के खिलाफ आनन्द चौहान जैसी कारवाई की भूमिका तो नहीं बना रहा है। क्योंकि उत्तराखण्ड में भी चुनाव से पूर्व हरीश रावत को ऐजैन्सीयों ने ऐसे ही घेरा था।

देश को कांग्रेस मुक्त करने की जगह अब खुद कांग्रेस युक्त होने लगी भाजपा

शिमला/शैल। विधानसभा चुनावों के लिये प्रदेश के दोनों बड़े दल अभी तक अपने-अपने उम्मीदवारों की अधिकृत सूची जारी नहीं कर पाये हैं। बल्कि भाजपा ने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमितशाह और अन्य बड़े नेताओं के दौरों से जो हवा पार्टी के हक में खड़ी थी वह हवा भी अब थम सी गयी है। क्योंकि इन बड़े नेताओं के दौरों से जहां हवा बनी थी वहीं पर उसी के साथ चुनावों में पार्टी टिकट पाने की इच्छ भी बहुत सारे कार्यकर्ताओं में स्वभाविक रूप से आ गयी। क्योंकि अधिकांश कार्यकर्ता अभी भी पार्टी को उत्तराखण्ड और उत्तर प्रदेश के आईने से ही देख रहे हैं। जबकि आज नोटबंदी जीएसटी तेल की कीमतें और रसोई गैस की कीमत बढ़ने से देश के अन्दर उभर रहे असन्तोष पर भाजपा के अपने ही बडे नेताओं यशवन्त सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा और अरूण शौरी जैसे पूर्व मन्त्री मोदी सरकार की नीतियों पर खुलकर हमला बोलने लग गये हैं। इन हमलों से आम आदमी भी व्यवहारिकता से इस पर सोचने और समझने के लिये विवश हो गया है। पंजाब के लोकसभा उपचुनाव में भाजपा का करीब दो लाख मतों से हारना इसी का संकेत है कि अब **''मोदी लहर''** नाम की चीज फील्ड में नही रह गयी है।

लेकिन प्रदेश से लेकर दिल्ली तक भाजपा का शीर्ष नेतृत्व अभी भी इस धरातल की स्थिति को समझने से इन्कार कर रहा है। हिमाचल में मुख्यमन्त्री नामित किये बिना चुनाव में उतरने के फैसले पर कायम है। चुनाव टिकटों के लिये उम्मीदवारों से आवेदन मांगने की बजाये मण्डल स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक सभी को यह निर्देश रहे हैं कि केन्द्रिय समिति को केवल तीन-तीन नाम उम्मीदवारों के भेजे जायें। लेकिन संगठन के इन स्तरों से हटकर भी संघ परिवार की कुछ इकाईयों के माध्यम से कुछ सर्वे रिपोर्ट भी केन्द्रिय समिति तक पहुंची हुई है। इन सारी सर्वे रिपोर्टो और संगठनों के माध्यम से आये नामों के बाद केन्द्रिय समिति को किसी एक नाम पर फैसला ले पाना कठिन हो गया है। यह पूरी स्थिति इतनी जटिल हो गयी है कि लगभग हर चुनाव क्षेत्र में विद्रोह की स्थितियां पैदा हो गई है जो कार्यकर्ता कल तक चुनाव अभियान में व्यस्त हो गया था वह अब उसे स्थगित करके प्रत्याशीयों की घोषणा का इन्तजार करने बैठ गया है। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को जो यह भरोसा था कि अनुशासन के नाम पर कार्यकर्ता उसके हर फैसले को ऑख बन्द करके स्वीकार कर लेगा, वह अब खण्डित होता जा रहा है। मण्डी सदर के मण्डल द्वारा सुखराम परिवार के भाजपा में शामिल होने और अनिल शर्मा को टिकट दिये जाने के फैसले पर सामुहिक त्यागपत्र देने का फैसला लिया जाना इसका स्पष्ट उदाहरण है।

प्रदेश भाजपा का शीर्ष नेतृत्व एक लम्बे अरसे से वीरभद्र सरकार के गिरने और कांग्रेस के कई नेताओं के संपर्क में होने के दावे करता आया है। आज सुखराम परिवार के भाजपा में शामिल होने के साथ ही जीएस बाली और राजेश धर्माणी जैसे नेताओं के भी भाजपा में शामिल होने की चर्चाओं का उठना उसी दावे का हिस्सा हो सकता है। लेकिन उस समय कांग्रेस के इन नेताओं के आने से वीरभद्र की सरकार गिरती थी और वह भाजपा की एक बड़ी सफलता होती। लेकिन आज कांग्रेस नेताओं को भाजपा में शामिल करना और उन्हें टिकट देना भाजपा की कमजोरी माना जायेगा। क्योंकि इस समय सरकार को गिराने के लिये जनता में नही जाया जा रहा है। बल्कि सरकार बनाने के लिये जनता का मत लिया जाना है। यदि आज भी इस मत के लिये कांग्रेस नेताओं का सहारा चाहिये तो क्या यह अपने आप में ही मोदी सरकार की नीतियों की जन स्वीकार्यता पर प्रश्नचिन्ह नही बन जायेगा। यह सही है कि आज से पूर्व जब भी प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है तब कांग्रेस में किसी न किसी कारण से हुई तोड़फोड़ इसमें सहायक रही है। लेकिन उस समय केन्द्र में भाजपा की ऐसे प्रचण्ड बहुमत वाली सरकारें नही होती थी। परन्तु आज स्थिति भिन्न है। केन्द्र में सरकार है जो देश को कांग्रेस मुक्त करने का संकल्प लेकर बैठी है। लेकिन इस संकल्प को पूरा करने के लिये कांग्रेस के अन्दर तोड़फोड़ करके इसे हासिल करना कतई संभव नही हो पायेगा। क्योंकि जिन नेताओं को भाजपा में शामिल करवाया जा रहा उनके खिलाफ कभी स्वयं ही गंभीर आरोप लगा चुकी है। इस परिदृश्य में कांग्रेस नेताओं को भाजपा में शामिल करने को शीर्ष नेतृत्व में गंभीर मतभेद उभर चुके है। बल्कि सूत्रों के मुताबिक इन्ही मतभेदों के कारण पार्टी अभी तक उम्मीदवारो की अधिकृत सूची जारी नही कर पायी है। इन्ही मतभेदों के कारण वरिष्ठ नेता दिल्ली से अपने-अपने क्षेत्रों में वापिस आ चुके हैं। यह भी माना जा रहा है कि केन्द्र की सूची आने से पूर्व ही बहुत सारे संभावित उम्मीदवार नामांकन करने और इस माध्यम से नामाकंन के समय अपनी ताकत का प्रदर्शन करने की रणनीति अपनाने जा रहे हैं। धर्मशाला में पूर्व मन्त्री किशन कूपर द्वारा अपने समर्थकों का प्रदर्शन किया जाना इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। जो हालात भाजपा में बनते जा रहे हैं वह एक विद्रोह का संकेत बनते जा रहे हैं और माना जा रहा है कि इस संभावित विद्रोह को नियन्त्रण मे रखने के लिये पार्टी को नेता की घोषणा करने की बाध्यता आ सकती है।